

वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ भारतनेट प्रोजेक्ट के तहत भूमिगत ऑप्टिकल फायबरकेबल बिछाने हेतु वन भूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव हेतु आवश्यक चेक लिस्ट

क्र.	अभिलेख का विवरण	पृ.क्र.
	GoI (MoEF)से संबंधित अभिलेख	
1	आवेदक विभाग का मांग पत्र।	
2	रजिस्ट्रेशन कोड एवं वर्ष की पुष्टि हेतु आनलाईन एकनालेजमेंट रिलीफ की छाया प्रति।	
3	वन क्षेत्र विवरण।	
4	गैर वनक्षेत्र विवरण।	
5	प्रत्यावर्तित हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र का सर्वे ऑफ इंडिया का मूल टोपोशीट 1:50000 स्केल पर।	
6	वन क्षेत्र का इन्डेक्स मैप।	
7	प्रपत्र -4 में प्रस्ताव।	
8	प्रोजेक्ट पर विस्तृत टीप।	
9	न्यूनतम वन क्षेत्र की उपयोगिता प्रमाण पत्र।	
10	अधिनियम उल्लंघन अंतर्गत कार्यों/जिम्मेदारों अधिकारियों एवं कर्मचारियों का विवरण एवं उनके विरुद्ध की गयी कार्यवाही	
11	वनअधिकारियों का निरीक्षण प्रतिवेदन मय स्पष्ट अनुशंसा, नाम, पदनाम सील एवं दिनांक सहित (प्रपत्र I से IV तक) प्रपत्र IV मुख्यालय से भरा जावेगा	
12	ऐतिहासिक स्थल का प्रमाण पत्र।	
13	संबंधित ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र (छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग का पत्र क्रमांक/एफ-5-20/2007/10-2 दिनांक 12/01/2010)।	
14	जिले की कुल वन भूमि (रकबा हे. में)।	
15	व.स.अ.-1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों में प्रभावित हुई वन भूमि रकबा हे. में।	
16	व.स.अ.-1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों में इसी श्रेणी की कुल प्रत्यावर्तन वन भूमि रकबा हे. में।	
17	प्रस्तावित क्षेत्र के 10 कि.मी. की परिधिरायगढ़में राष्ट्रीय उद्यान, वन्यप्राणी अभ्यारण्य या हाथी कारीडोर स्थित है अथवा प्रस्तावित है या अन्य ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह/मूर्ति न होने की जानकारी (छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग का पत्र क्रमांक/एफ-5-20/2007/10-2 दिनांक 12/01/2010)।	

17/8

18	वन अधिकार मान्यता पत्र वितरण की सूची एवं कलेक्टर का अनापत्ति प्रमाण पत्र (यदि निरंक हो तो भी प्रमाणित होगा),। (भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ,नई दिल्ली का पत्र क्रमांक / F.No.11-9/1998 दिनांक 3/8/2009)।	
19	राजस्व वन भूमि हेतु कलेक्टर का प्रमाण पत्र (कार्यालयीन पत्र क्रमांक भू -प्र/1317 दिनांक 25/05/2007)।	
	राज्य शासन से संबंधित अभिलेख	
20	पंजीयन क्रमांक-पंजीयन शुल्क एवं प्रोसेसिंग शुल्क का विवरण (छत्तीसगढ़ शासन ,वन विभाग का पत्र क्रमांक/एफ-7-22/2009/10-2 दिनांक 31/07/2009।	
21	राष्ट्रीय उद्यान/वन्यप्राणी अभ्यारण्य के अंदर से ओ.एफ.सी. गुजरने की स्थिति में प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) छत्तीसगढ़ की अनुशंसा।	

वनमण्डलाधिकारी,
धरमजयगढ़ वनमण्डल,
जिला -रायगढ़,(छत्तीसगढ़).



OFFICE OF CH/PS
SDC Building, Civil Lines,
Raipur, CHHATTISGARH

Phone:0771-4014158

Fax:0771:4066205

email: ceochips@nic.in

No: ¹⁴⁶³ /CEO/ CHiPS /BharatNet/2020

Raipur, Date: ¹⁷ / 08 /2020

::Authority Letter::

I hereby authorize Mr. Ravindra Kumar Pateria, JCEO of Chhattisgarh Infotech Promotion Society (CHiPS) for submitting applications, signing agreement and other processing regarding ROW clearance with Forest Department, Railway Department & NHAI Department Chhattisgarh under BharatNet Phase II project for laying optical fibre cable in the State of Chhattisgarh by CHiPS.

(Sameer Vishnoi)

CEO, CHiPS



OFFICE OF CHIPS

SDC Building, Civil Lines

Raipur – 492001

Phone: 0771-4066277

Fax: 0771-4066205

Email: ceochips@nic.in

No: 1362/CEO/CHIPS/MSI/BharatNet/2018

Raipur, Dated: 03/07/2018

To,

M/s Tata Projects Ltd.,

2nd, 3rd & 4th Floor, Transocean House,

Lake Boulevard Road, Hiranandani

Business Park, Powai, Mumbai 400076

Subject: Notification of Award (NoA) for Selection of Master System Integrator (MSI) for BharatNet Phase-II Project in the State of Chhattisgarh.

Ref: 1) Tender no. 05/CEO/CHIPS/MSI/BharatNet/2018, issued by Office of CHIPS, Raipur dated 31st Jan 2018.

2) Your Bid Submission dated 18th April 2018.

CHIPS has completed the bid evaluation process for Selection of Master System Integrator under BharatNet Phase-II Project in the State of Chhattisgarh and is pleased to inform that **M/s Tata Projects Ltd.** is the successful bidder.

Scope of Work –

This Notification of Award is offered to **M/s. Tata Projects Ltd.** for Implementing BharatNet Phase-II Project in the State of Chhattisgarh as envisaged in the RFP document. The detailed Scope of Work given in the RFP document read along with the Corrigenda, clarifications (collectively referred as “Corrigenda”) will form part of Master Service agreement (MSA) with M/s. Tata Projects Ltd.

• Bill of material & Cost of line items of the Contract -

The Contract Value for 8 years is **INR 3,056,69,43,538/- (Indian Rupees Three Thousand Fifty Six Crores Sixty Nine Lakhs Forty Three Thousand Five Hundred and Thirty Eighth only)**, including all taxes and GST value of Rs. 466,22,95,896/-. The Contract Value includes **Total Capex Value of INR 1,975,99,99,180/-** (including GST value of Rs. 301,37,78,960/-) and **Total Opex Value of INR 1,080,69,44,357/-** (including GST value of Rs. 164,85,16,936/-) for Seven (7) years. The quoted unit price Line item wise cost is enclosed at Annexure 'A' with this NoA.

The Contract Value is inclusive all taxes and GST and is as per the financial bid submitted by M/s. Tata Projects Ltd. GST shall be paid on actual at the time of raising the invoice as per the terms and conditions mentioned in the RFP document along with the corrigenda released.

The actual cost will be calculated based on the unit cost enclosed at Annexure 'A'.

Payment Terms -

Payment terms shall be in accordance with the provisions of the RFP document along with the corrigenda released.

Acceptance of NoA -

Kindly convey the acceptance of the NoA within 7 (Seven) days from the date of issuance of this NoA.

In accordance with RFP terms and conditions, section 4.38, **M/s. Tata Projects Ltd.** is directed to submit '*Implementation - Performance Bank Guarantee (PBG)*' of 10% of the Capex value (including GST) i.e. Rs. 197,59,99,918/- of the contract value valid upto 60 days after "project Go-Live" in the form specified in the tender document within 15 (Fifteen) days from the date of issuance of this NoA.

The other terms & conditions shall be in accordance with the provisions of the RFP document along with the corrigenda released for Selection of Master System Integrator for BharatNet Phase-II Project in the State of Chhattisgarh.



• **Signing of Master Service Agreement / Contract –**

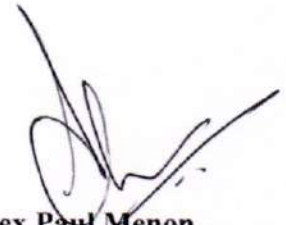
On submission of the *Implementation - Performance Bank Guarantee (PBG)* as mentioned above to CHiPS, M/s Tata Projects Ltd. is required to sign a Master Service Agreement through its authorized signatory within 7 *(Seven) days* of receipt of the pro-forma for Contract.

Project Implementation -

After acceptance of NoA and Master Service Agreement signing, **M/s. Tata Projects Ltd.** will conduct and submit site survey for list of GP's enclosed at Annexure 'B' with this NoA. Based on the approval of Site Survey report, Bill of Quantity (BoQ) and Bill of Material (BoM) by CHiPS, M/s. Tata Projects Ltd. shall implement the project.

The project shall be governed in accordance with provisions in the tender document read along with the corrigenda released for Selection of Master System Integrator for BharatNet Phase-II Project in the State of Chhattisgarh. M/s. Tata Projects Ltd. needs to comply with the Implementation plan given in the said tender.

Kindly acknowledge the receipt of this NoA by return fax/letter.



Alex Paul Menon
CEO, CHiPS

FORM - A

Form for seeking prior approval of Central Government under section 2 of the Forest(Conservation) Act,1980 for Diversion of fresh forest area

PART - I

(To be filled up by User Agency)

A. General Details

A-1. Project Details

- (i). Proposal No. : FP/CG/OFC/45138/2020
- (ii). Name of Project for which Forest Land is required : BharatNet Project Phase-II Dharamjaygarh Forest Division
- (iii). Short narrative of the proposal and Project/scheme for which the forest land is required : Forest Land required for Optical Fibre Cable Laying works under National Optical Fibre Network Project of Bharat Broadband Network Limited (BBNL) for providing Broadband Connectivity of Blocks to Gram Panchayats. Optical Fibre Cable Laying from Dharamjaygarh and Lailunga Block Headquarter to Gram Pan
- (iv). State : Chhattisgarh
- (v). Category of the Project : Optical Fibre Cable
- (vi). Shape of forest land proposed to be diverted : Linear
- (vii). Estimated cost of the Project(Rupees in lacs) : 9189
- (viii). Total Area of Forest Land proposed for diversion(in ha.): 17.329
- (ix). Non-Forest Land required for this project(in ha.): 32.284
- (x). Total period for which the forest land is proposed to be diverted(in years): 20

A-2. Details of User Agency

- (i). Name : CHIPS
- (ii). Address1 : Chhattishgarh Infotech Promotion Society
- (iii). Address2 : 3rd Floor,State Data Center Building,Civil Lines Raipur Chhattishgarh
- (iv). State : Chhattisgarh
- (v). District : Raipur
- (vi). Pin : 492001
- (vii). Landmark : Opp.New Circuit House
- (viii). Email address : ceochips@nic.in
- (ix). Landline Telephone No. : 771-4014158
- (x). Fax No. : 771-4066205
- (xi). Mobile No. : 9632444223
- (xii). Website (if any) : www.chips.gov.in
- (xiii). Legal status of User Agency : State Government

A-3. Details of Person Making Application

- (i). First Name: Ravindra
- (ii). Middle Name: Kumar
- (iii). Last Name: Pateria
- (iv). Gender: Male
- (v). Designation: JCEO
- (vi). Address 1: CHIPS,2nd Floor,SDC Building, Civil Line Raipur
- (vii). Address 2: NIL
- (viii). State: Chhattisgarh
- (ix). District: Raipur
- (x). Tehsil: NIL
- (xi). Pin: 492001
- (xii). Landmark: New Circuit house
- (xiii). Email Address: vivek.chandrakar@cgchips.in
- (xiv). Landline Telephone No.: 771-4014158
- (xv). Fax No.: 07714066205
- (xvi). Mobile No.: 9630742261
- (xvii). Copy of documents in support of the competence/authority of the person making this application to make application on behalf of the User Agency:

B. Details of land required for the Project

B-1.



Details of proposal seeking prior approval of Central Government under the Act for diversion of forest land for the Project already submitted in the past

Proposal Submitted in Past							
S.no	Proposal Status.	Proposal No.	Moef File No.	Area Proposed for Diversion(Ha.)	Area Diverted(Ha.)	Date of In-Principle Approval	Date of Final Approval
1	Inprinciple	FP/CG/Others/32736/2018	F-7-3/2018/10-2,Raipur Dated 26.05.2018	1.222	1.222	26 May 2018	
2	Inprinciple	FP/CG/Others/28811/2017	F-5-10/2018/10-2,Raipur Dt 19/06/2018	2.488	2.488	19 Jun 2018	
3	Inprinciple	FP/CG/Others/27433/2017	F-7-3/2018/10-2,Raipur Dt.26.05.2018	0.854	0.854	26 May 2018	
4	Inprinciple	FP/CG/Others/27427/2017	F-5-15/2018/10-2,Raipur Dt.28/04/2018	1.588	1.588	28 Apr 2018	
5	Inprinciple	FP/CG/Others/27425/2017	F-5-11/2018/10-2,Raipur Dt.28/04/2018	3.959	3.959	28 Apr 2018	
6	Inprinciple	FP/CG/Others/27423/2017	F-5-12/2018/10-2,Raipur Dt.11/06/2018	2.014	2.014	11 Jun 2018	
7	Inprinciple	FP/CG/Others/27422/2017	F-5-9/2018/10-2,Raipur 28/04/2018	3.064	3.064	28 Apr 2018	
8	Inprinciple	FP/CG/Others/27420	F-5-08/2018/10-2,Raipur Dt.28/04/2018	2.383	2.383	28 Apr 2018	
9	Inprinciple	FP/CG/Others/27383/2017	F-5-16/2018/10-2,Raipur Dt. 28/04/2018	0.947	0.947	28 Apr 2018	

B-2. Details of forest land proposed to be diverted

B-2.1 Details of Divisions involved

Details of Divisions involved			
S.no	Division Name	Forest Land(ha.)	Non-Forest Land(ha.)
1.	Dharamjaigarh	17.329	32.284

B-2.2 Details of Districts involved

District wise breakup			
S.no	District Name	Forest Land(ha.)	Non-Forest Land(ha.)
1.	Raigarh	17.329	32.284

B-2.3 Village wise breakup

Villages wise breakup			
S.no	Village	Forest Land(ha.)	Non-Forest Land(ha.)
1	Aamgaon	0.254	0
2	Aidu	0.22	0
3	Alkra	0.475	0
4	Alola	0	0.417
5	Amapali	0.886	0.158
6	Amiltikra	0	0.403
7	Auranara	0.022	0
8	Bagudega	0	0.164
9	Bahama	0	0.12
10	Bairagi	0	0.319

11	Baiskimuda	0	0.227
12	Bakalo	0.02	0.252
13	Bakaruma	0	0.064
14	Balakpodi	0	0.34
15	Bandhanpur	0	0.3
16	Banhar	0.232	0.389
17	Bansajhar	0	0.121
18	Bansdand	0.333	0.188
19	Bardih	0	0.333
20	Bartapali	0	0.192
21	Basantpur	0	0.106
22	Bayasi Colony	0	0.383
23	Behramar	0.099	0.027
24	Behramuda	0	0.227
25	Bhakurra	0.188	0.167
26	Bhedimuda A	0	0.099
27	Bhedimuda B	0	0.131
28	Bhojpur	0.011	0.156
29	Bhundibahari	0	0.119
30	Bhuyapani	0	0.183
31	Birsingha	0	0.015
32	Bojiya	0.252	0.13
33	Bokramuda	0	0.145
34	Boro	0.46	0.058
35	Chainpur	0.06	0
36	Chandrashekharpur	0	0.131
37	Chanverpur	0	0.164
38	Charkhapara	0	0.312
39	Chhal	0.265	0.32
40	Chingari	0.38	0
41	Chirakhar	0	0.164
42	Chirodih	0.959	0.455
43	Choranga	0	0.249
44	Dap	0	0.253
45	Darrdih	0	0.428
46	Deurmar	0	0.101
47	Dharamjaigarh	0.913	1.021
48	Dhourabhata	0.056	0.308
49	Dhouradand	0	0.138
50	Diyagarh	0	0.139
51	Dodagaon	0.228	0.533
52	Dorrobija	0	0.158
53	Durgapur	0	0.156
54	Fulikunda	0	0.115
55	Gahnajhariya	0	0.244
56	Galimar	0.265	0
57	Gamekela	0.005	0.286
58	Ganjpur	0	0.198
59	Ganpatpur	0	0.025
60	Gersha	0.127	0.023
61	Gerupani	0	0.124
62	Ghatgaon	0	0.185
63	Ghiyarmuda	0	0.092
64	Gidhkalo	0.035	0.008
65	Godhikhurd	0	0.003
66	Golabuda	0	0.339
67	Gudubahal	0	0.17
68	Gunu	0	0.106
69	Hati	0.171	0.259
70	Jabga	0.211	0.214
71	Jamabahar	0	0.124
72	Jamabira	0.543	0.229

73	Jamargidi	0.2	0.135
74	Jamraga	0	0.15
75	Jatara	0	0.103
76	Jhagarapur	0	0.157
77	Jharama	0	0.018
78	Jharan	0	0.062
79	Jogada	0.013	0.189
80	Kadamdhodhi	0	0.134
81	Kamarga	0	0.901
82	Kamosindand	0.066	0.158
83	Kamrai	0.281	0.258
84	Kapiyabhouna	0	0.125
85	Kapu	0.089	0.392
86	Karwarjor	0.006	0.03
87	kataipali	0.057	0.488
88	Katkliya	0.073	0.202
89	Kerabahar	0	0.152
90	Keshla	0.295	0.298
91	Khadgaon	0.278	0.031
92	Khamhar	0	0.352
93	Khar	0	0.216
94	Khedapali	0	0.104
95	Khendama	0	0.098
96	Kida	0.049	0.023
97	Kilkila	0	0.229
98	Kiriya	0	0.18
99	Kodasiya	0	0.064
100	Kondkel	0	0.155
101	Koylar	0	0.019
102	Kudekela	0.372	0.203
103	Kuma	0.111	0.257
104	Kumarta	0	0.076
105	Kumhichuwa	0	0.058
106	Kunjara	0	0.089
107	Kupakani	0	0.062
108	Kurra	0	0.114
109	Lailunga	0.276	0.831
110	Lamdand	0.17	0.015
111	Laripani	0	0.177
112	Laxmipur	0	0.038
113	Libra	0.079	0.028
114	Lipti	0.124	0.236
115	Lohadapani	0	0.006
116	Lotan	0.105	0
117	Mohanpur	0	0.342
118	Mudagaon	0	0.198
119	Mukdega	0.17	0.094
120	Munund	0	0.164
121	Nagdarha	0	0.567
122	Naharkela	0.1	0
123	Nakna	0	0.248
124	Narayanpur	0	0.003
125	Narkalo	0	0.054
126	Nawagaon	0	0.084
127	Nawapara	0	0.01
128	Newar	0.129	0.111
129	Ongana	0.179	0.048
130	Pahadluddeg	0.197	0
131	Pakargaon	0.357	0.038
132	Pakhnakoat	0.025	0.348
133	Pandripani	0.073	0
134	Paraghati	0	0.447

135	Paremer	0	0.116
136	Pathalgaon Khurd	0	0.083
137	Pelma	0	0.41
138	Phulikunda	0.413	0
139	Phutamuda	0.063	0
140	Potra	0	0.075
141	Purtukachhar	0	0.205
142	Purunga	0	0.103
143	Pusalda	0	0.312
144	Raimer	0.293	0.088
145	Rairumakhurd	0	0.054
146	Rajama	0.303	0
147	Rajgaon	0	0.095
148	Rajkot	0	0.197
149	Rajpur	0	0.179
150	Ratanpur	0.315	0.02
151	Reelo	0.025	0
152	Regdi	0	0.154
153	Rjudukela	0	0.016
154	Rupdega	0	0.038
155	Rupunga	0.481	0.136
156	Sajapali	0.232	0.162
157	Salka	0	0.242
158	Salkhiya	0	0.219
159	Samharsingha	0.244	0.145
160	Saskoba	0.086	0.198
161	Semipali	0.18	0.2
162	Shahpur	0	0.183
163	Singhijhap	0.116	0
164	Sisringa	0.299	0.34
165	Sithara	0	0.091
166	Siwar	0.011	0
167	Sohanpur	0	0.203
168	Sokhamuda	0.199	0.891
169	Sonajori	0.169	0.314
170	Sonpur	0	0.107
171	Supkalo	0	0.835
172	Talgaon	0	0.151
173	Taraimar	0.456	0
174	Tarakhand	0	0.448
175	Tarekela	0	0.096
176	Tatkela	0	0.188
177	Tejpur	0.82	0
178	Thakurpodi	0	0.014
179	Tilaidarha	0.318	0
180	Tolge	0.051	0.113
181	Tolma	0.185	0.154
182	Tonahinara	0	0.226
183	Turtura	0	0.136
184	Ududa	0.449	0.01
185	Potiya	0.077	0.261

B-2.4 Component wise breakup

Component wise breakup			
S.no	Component	Forest Land(ha.)	Non-Forest Land(ha.)
1	ofc	17.329	32.284

C. Maps of forest land proposed to be diverted

Division 1. : Dharamjaigarh
(i). Area of forest land proposed to be diverted(in ha.) : 17.329

(ii). : Linear

(b). No. of Segments : One

Segment wise details		
Segments	Segment Area(in ha.)	Kml File of Segments
1.	17.329	 View File

(iii). Copy of Survey of India Toposheet indicating boundary of forest land proposed to be diverted:



(iv). Scanned copy of the Geo-referenced map of the forest land proposed to be diverted prepared by using GPS or Total Station: 

D. Justification for locating the Project in forest land and details of alternatives examined:

(i). Copy of note containing justification for locating the Project in forest land: 

(ii). Whether a copy of map indicating location of alternative examine is required to be provided: No

(a). Reason for not providing such map NIL

E. Employment likely to be generated

(i). Whether the Project is likely to generate employment?: Yes

(ii). Permanent/Regular Employment(Number of persons): 25

(iii). Temporary Employment(Number of person-days): 30

F. Displacement of People due to the Project, if any

(i). Whether Project involves displacement?: No

G. Details of Cost-Benefit analysis for the Project

(i). Whether the Project requires Cost-Benefit analysis?: No

H. Status of Environmental Clearance

(i). Whether the Project requires Clearance under the Environment (Protection) Act 1986?: No

I. Status of Wildlife Clearance

(i). Whether the Project or a part thereof is located in any Protected Area or their Eco sensitive zone?: No

J. Applicability of special provisions governing Scheduled Areas

(i). Whether the Project or a part thereof is located in a Scheduled Area?: No

K. Status of settlement of rights under the Forest Rights Act, 2006 on the forest land proposed to be diverted

(i). Whether the process for settlement of Rights under the Forest Rights Acts 2006 on the forest land proposed to be diverted has been completed?: No

L. Details of land identified for Compensatory Afforestation

(i). Whether non-forest or Revenue forest land is required to be provided by User Agency?: No

(ii). Whether the area of non-forest land or Revenue forest land required to be provided by User Agency for raising Compensatory Afforestation is less than area of forest land proposed to be diverted?: Not Applicable

(iii). Reason for not providing Non-Forest Land: Laying of telephone/optical fibre lines

Additional information Details

Documents		
S.No	Documents	Remarks
1		Lidar/DGPS Survey Report

2			Project Approval Copy
3			LOI Issued To TPL
4			Letter to Collector Reg.FRA & NOC
5			DD against Registration and Processing Fees
6			Forest Area Statement

Print page

DD#

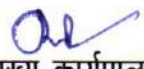


आवेदक विभाग का मांग पत्र

भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना "भारतनेट प्रोजेक्ट फेस -II" के अन्तर्गत संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स), रायपुर, छत्तीसगढ़ द्वारा रायगढ़ जिला के धरमजयगढ़ वनमण्डल क्षेत्रांतर्गत धरमजयगढ़ एवं लैलूगा ब्लॉक के अधीनस्थ ग्राम पंचायतों को ब्लॉक मुख्यालय से जोड़ने वाले मार्गों के मौजूदा राईट-ऑफ-वे के अन्तर्गत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु प्रभावित 16.922 हे. वनभूमि एवं राजस्व वनभूमि 0.407 हे. कुल रकबा 17.329 हे. वनभूमि आवश्यक है।

आरक्षित वनभूमि का रकबा (हे.)	संरक्षित वनभूमि का रकबा (हे.)	राजस्व वनभूमि का रकबा (हे.)	कुल आवेदित रकबा (हे.)
7.171	9.751	0.407	17.329

वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत उक्त वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोजन के लिए व्यपवर्तन प्रस्ताव हेतु धरमजयगढ़ वनमण्डल क्षेत्रांतर्गत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु कुल वनभूमि रकबा 17.329 हे की मांग की गई है।


 संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी
 छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स)
 रायपुर छत्तीसगढ़



« Reply all ▾ 🗑 Delete 🗑 Junk Block ...

Fw: Email Alert From System Administrator of Online Submission and Monitoring of Forests Clearances Proposal(OSMFCP) portal

To: Vivek Chandrakar <vivek.chandrakar@cgchips.in>

Subject: Fwd: Email Alert From System Administrator of Online Submission and Monitoring of Forests Clearances Proposal(OSMFCP) portal

This is to acknowledge that a proposal seeking prior approval of Central Government under the Forest (Conservation) Act 1980 as per the details given below has been successfully uploaded on the portal of the Ministry of Environment, Forests and Climate Change Government of India.

- | | |
|---|--|
| 1. Proposal No. | : FP/CG/OFC/45138/2020 |
| 2. Proposal Name | : BharatNet Project Phase-II Dharamjaygarh Forest Division |
| 3. Category of the Proposal | : Optical Fibre Cable |
| 4. Date of Submission | : 16/07/2020 |
| 5. Name of the Applicant with Contact Details | |
| Name | : Ravi |
| Mobile No. | : 9630742261 |
| State | : Chhattisgarh |
| District | : Raipur |
| Pincode | : 492001 |
| 6. Area Applied (ha.) | : 17.329 |

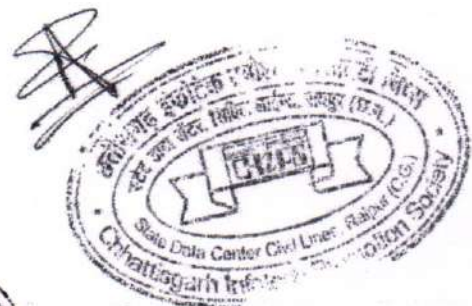
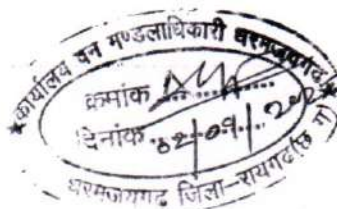
The proposal will be examined by the Nodal Officer, Forest (Conservation) Act, 1980 to assess its completeness.

(System Administrator)



*** This is a system generated email, please do not reply. ***

Reply Forward





दूरभाष: 0771 - 2512840

ई - मेल: apccf-lm.cg@gov.in

रायपुर, दिनांक 19/08/2020

वन मंडलाधिकारी
धरमजयगढ वन मंडल धरमजयगढ
छत्तीसगढ

संदर्भ: — आनलाईन प्राप्त प्रकरण दिनांक 16.07.2020 एवं अगिस्वीकृति प्राप्त दिनांक 03/09/2020

—00—

प्रकरण का आनलाईन पंजीयन क्रमांक – FP/CG/OFC/45138/2020 आबंटित किया गया है।

पंजीयत एवं प्रसंस्करण शुल्क की राशि पी.डी. खाते में जमा होने संबंधी पुष्टि करें एवं प्रकरण के पंजीयन पश्चात् हार्ड कापी में प्रस्ताव प्राप्त कर इस कार्यालय को मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त बिलासपुर के माध्यम से प्रेषित करना समिश्चित करें ताकि प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा अनुमोदित

अ.मु.व.स (मू-प्रबंध / व. सं. अ)
छत्तीसगढ़

रायपुर, दिनांक 19/08/2020

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:

- मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त बिलासपुर, छत्तीसगढ़।
 - वन मंडलाधिकारी (वन प्रबंधन सूचना प्रणाली कार्यालय) अरण्य भवन, अटल नगर, नवा रायपुर छ.ग.।
 - ACEO, Chhattishgarh Infotech Promotion Society CHIPS, 2nd Floor, SDC Building, Civil Line Raipur Chhattisgarh — आनलाईन फार्म "ए" की हस्ताक्षरित प्रति मय संलग्न मूल अभिलेख, डिमाण्ड ड्राफ्ट के साथ वन मंडल कार्यालय में जमा करें।
- वर्तमान में किसी भी वन क्षेत्र में कार्य प्रारंभ करने की अनुमति नहीं है।

अ.मु.व.स (मू-प्रबंध / व. सं. अ)
छत्तीसगढ़

वनक्षेत्र का विवरण

भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना "भारतनेट प्रोजेक्ट फेस - II" के अन्तर्गत संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स), रायपुर, छत्तीसगढ़ द्वारा रायगढ़ जिला के धरमजयगढ़ वनमण्डल क्षेत्रांतर्गत धरमजयगढ़ एवं लैलूगा ब्लॉक के अधीनस्थ ग्राम पंचायतों को ब्लाक मुख्यालय से जोड़ने वाले मार्गों के मौजूदा राईट-ऑफ-वे के अन्तर्गत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु प्रभावित 16.922 हे. वनभूमि एवं राजस्व वनभूमि 0.407 हे. कुल रकबा 17.329 हे. वनभूमि आवश्यक है। वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत उक्त वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोजन के लिए व्यपवर्तन प्रस्ताव हेतु प्रभावित वन क्षेत्र का विवरण निम्नानुसार है:-

रायगढ़ जिला के धरमजयगढ़ वनमण्डल के अधीनस्थ आवेदित कुल वनभूमि			
आरक्षित वनभूमि का रकबा (हे.)	संरक्षित वनभूमि का रकबा (हे.)	राजस्व वनभूमि का रकबा (हे.)	कुल आवेदित रकबा (हे.)
7.171	9.751	0.407	17.329

रायगढ़ जिला के धरमजयगढ़ वनमण्डल के अधीनस्थ आवेदित वन क्षेत्र				
क्र.	परिक्षेत्र का नाम	आरक्षित वन का रकबा (हे.)	संरक्षित वन का रकबा (हे.)	कुल आवेदित रकबा (हे.)
1	बाकारुमा	1.573	1.803	3.376
2	बोरो	0.501	0.952	1.453
3	छाल	0.819	1.788	2.607
4	धरमजयगढ़	1.503	2.370	3.873
5	कापू	0.579	0.223	0.802
6	लैलूगा	2.196	2.615	4.811
योग-		7.171	9.751	16.922

रायगढ़ जिला के धरमजयगढ़ वनमण्डल के अधीनस्थ आवेदित राजस्व वनभूमि			
क्र.	तहसील का नाम	राजस्व वनभूमि का रकबा (हे.)	कुल आवेदित रकबा (हे.)
1	धरमजयगढ़	0.365	0.365
2	लैलूगा	0.042	0.042
योग		0.407	0.407

वन परिक्षेत्राधिकारी
छाल परिक्षेत्र
वनमण्डल, धरमजयगढ़

वन परिक्षेत्राधिकारी
लैलूगा

वन परिक्षेत्राधिकारी
परिक्षेत्र बोरो

वन परिक्षेत्राधिकारी
कापू (सा.)

वन परिक्षेत्राधिकारी
धरमजयगढ़

Divisional Forest Officer
Dharamjaya Forest Division
Raigarh

उपवन मण्डलाधिकारी
धरमजयगढ़, उपवन मण्डल

रायगढ़ जिला के धरमजयगढ़ वनमण्डल क्षेत्रांतर्गत आवेदित वन क्षेत्र का विवरण

क्र.	जिला	प्रभावित वनमण्डल का नाम	प्रभावित परिक्षेत्र का नाम	प्रभावित वनखंड का नाम	प्रभावित वनभूमि का प्रकार	वन कक्ष क्र.	लम्बाई (मी.)	चौड़ाई (मी.)	क्षेत्रफल (हे.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	रायगढ़	धरमजयगढ़	बाकारुमा	साजापाली	आरक्षित वन	88	10.177	0.5	0.001
2			बाकारुमा	साजापाली	आरक्षित वन	89	13735.007	0.5	0.687
3			बाकारुमा	साजापाली	आरक्षित वन	92	5429.288	0.5	0.271
4			बाकारुमा	ढोढ़ागांव	आरक्षित वन	105	614.537	0.5	0.031
5			बाकारुमा	सोखामुडा एवं राजकोट	आरक्षित वन	113	704.537	0.5	0.035
6			बाकारुमा	डोकरीपहोरी	आरक्षित वन	129	1873.068	0.5	0.094
7			बाकारुमा	तेजपुर	आरक्षित वन	131	966.741	0.5	0.048
8			बाकारुमा	सोहनपुर	आरक्षित वन	139	1030.408	0.5	0.052
9			बाकारुमा	जामाबीरा	आरक्षित वन	144	2746.767	0.5	0.137
10			बाकारुमा	दाहीडांड	आरक्षित वन	159	4340.780	0.5	0.217
11			बोरो	जबगा	आरक्षित वन	597	913.950	0.5	0.046
12			बोरो	जमरगी	आरक्षित वन	598	2063.660	0.5	0.103
13			बोरो	जलडेगा	आरक्षित वन	641	922.495	0.5	0.046
14			बोरो	जलडेगा	आरक्षित वन	658	1214.240	0.5	0.061
15			बोरो	जलडेगा	आरक्षित वन	659	991.182	0.5	0.050
16			बोरो	जलडेगा	आरक्षित वन	656	440.215	0.5	0.022
17			बोरो	जलडेगा	आरक्षित वन	657	888.020	0.5	0.044
18			बोरो	जलडेगा	आरक्षित वन	648	2579.548	0.5	0.129
19			छाल	ऐडु	आरक्षित वन	477	2915.747	0.5	0.146
20			छाल	धूमरपहरी	आरक्षित वन	497	2343.398	0.5	0.116
21			छाल	धूमापहाड़ी	आरक्षित वन	493	649.963	0.5	0.032
22			छाल	बेहरामार	आरक्षित वन	573	719.879	0.5	0.036
23			छाल	बेहरामार	आरक्षित वन	574	891.564	0.5	0.045
24			छाल	कुड़केला	आरक्षित वन	535	444.104	0.5	0.022

25			छाल	पचपेड़ी	आरक्षित वन	532	1303.269	0.5	0.065
26	रायगढ़	धरमजयगढ़	छाल	पुरुंगा	आरक्षित वन	565	675.546	0.5	0.034
27			छाल	पुरुंगा	आरक्षित वन	564	1110.698	0.5	0.056
28			छाल	चौनपुर	आरक्षित वन	589	1394.838	0.5	0.070
29			छाल	गड़ाईन बहरी बोजिया	आरक्षित वन	517	444.087	0.5	0.022
30			छाल	गड़ाईन बहरी बोजिया	आरक्षित वन	515	2284.072	0.5	0.114
31			छाल	गड़ाईन बहरी बोजिया	आरक्षित वन	516	116.751	0.5	0.008
32			छाल	गड़ाईन बहरी बोजिया	आरक्षित वन	510	1065.922	0.5	0.053
33			धरमजयगढ़	सेमीपाली	आरक्षित वन	360	2281.322	0.5	0.114
34			धरमजयगढ़	शेरबंद बीजापतरा	आरक्षित वन	368	4653.817	0.5	0.233
35			धरमजयगढ़	शेरबंद बीजापतरा	आरक्षित वन	371	3944.469	0.5	0.197
36			धरमजयगढ़	दाहीडाड़	आरक्षित वन	388	5149.641	0.5	0.257
37			धरमजयगढ़	दाहीडाड़	आरक्षित वन	389	7284.769	0.5	0.364
38			धरमजयगढ़	सिसरिंगा	आरक्षित वन	390	603.246	0.5	0.030
39			धरमजयगढ़	सिसरिंगा	आरक्षित वन	391	314.767	0.5	0.016
40			धरमजयगढ़	फतेहपुर – ए	आरक्षित वन	459	1570.133	0.5	0.079
41			धरमजयगढ़	चौनपुर	आरक्षित वन	441	1058.560	0.5	0.053
42			धरमजयगढ़	जबगा	आरक्षित वन	475	3210.070	0.5	0.160
43			कापू	कुमरता	आरक्षित वन	42	3206.308	0.5	0.160
44			कापू	कुमरता	आरक्षित वन	33	2969.883	0.5	0.148
45			कापू	कुमरता	आरक्षित वन	34	333.622	0.5	0.017
46			कापू	कुमरता	आरक्षित वन	35	3004.762	0.5	0.150
47			कापू	तालगांव	आरक्षित वन	56	1423.841	0.5	0.071
48			कापू	तालगांव	आरक्षित वन	55	435.086	0.5	0.022
49			कापू	जगालमौहा	आरक्षित वन	80	211.488	0.5	0.011
50			लैलूगा	डंगबीरा	आरक्षित वन	177	1628.400	0.5	0.081

51			लैलूगा	डंगबीरा	आरक्षित वन	178	1466.165	0.5	0.073	
52	रायगढ़	धरमजयगढ़	लैलूगा	डंगबीरा	आरक्षित वन	179	2066.749	0.5	0.103	
53			लैलूगा	डंगबीरा	आरक्षित वन	180	157.306	0.5	0.008	
54			लैलूगा	डंगबीरा	आरक्षित वन	181	1987.732	0.5	0.099	
55			लैलूगा	डंगबीरा	आरक्षित वन	183	2371.515	0.5	0.119	
56			लैलूगा	डंगबीरा	आरक्षित वन	186	1623.859	0.5	0.081	
57			लैलूगा	डंगबीरा	आरक्षित वन	187	3592.171	0.5	0.180	
58			लैलूगा	डंगबीरा	आरक्षित वन	188	1013.245	0.5	0.051	
59			लैलूगा	डंगबीरा	आरक्षित वन	189	84.706	0.5	0.004	
60			लैलूगा	बांसडांड	आरक्षित वन	211	275.245	0.5	0.014	
61			लैलूगा	ढाप	आरक्षित वन	213	1138.770	0.5	0.057	
62			लैलूगा	नाग	आरक्षित वन	223	2022.104	0.5	0.101	
63			लैलूगा	नाग	आरक्षित वन	224	761.353	0.5	0.038	
64			लैलूगा	नाग	आरक्षित वन	225	1871.265	0.5	0.094	
65			लैलूगा	नाग	आरक्षित वन	226	1071.932	0.5	0.054	
66			लैलूगा	नाग	आरक्षित वन	228	183.408	0.5	0.009	
67			लैलूगा	चितईघुटरी	आरक्षित वन	250	1596.861	0.5	0.080	
68			लैलूगा	धनाइघुटरी	आरक्षित वन	255	1767.978	0.5	0.088	
69			लैलूगा	डांडपानी	आरक्षित वन	280	1331.059	0.5	0.067	
70			लैलूगा	गितधरा	आरक्षित वन	286	2713.683	0.5	0.136	
71			लैलूगा	तोलगे प.	आरक्षित वन	291	1657.429	0.5	0.083	
72			लैलूगा	तोलगे प.	आरक्षित वन	294	1255.439	0.5	0.063	
73			लैलूगा	तोलगे प.	आरक्षित वन	315	3540.732	0.5	0.177	
74			लैलूगा	तोलगे प.	आरक्षित वन	316	1393.980	0.5	0.070	
75			लैलूगा	तोलगे प.	आरक्षित वन	319	2351.697	0.5	0.118	
76			लैलूगा	तोलगे प.	आरक्षित वन	320	1177.489	0.5	0.058	
77			लैलूगा	तोलगे पू	आरक्षित वन	347	1803.267	0.5	0.090	
उप वनमण्डलाधिकारी लैलूगा उपवनमण्डल							आरक्षित वनभूमि का योग-	143385.781	0.5	7.171

वन परिक्षेत्र अधिकारी
लैलूगा

वन परिक्षेत्र अधिकारी
कापू (सा.)

वन परिक्षेत्र अधिकारी
परिक्षेत्र बोरो

वन परिक्षेत्राधिकारी
धरमजयगढ़

उपवन मण्डलाधिकारी
धरमजयगढ़, उपवन मण्डल

वन परिक्षेत्राधिकारी
छाल परिक्षेत्र
मण्डल, धरमजयगढ़

Divisional Forest Officer
Dharamjaigarh Forest Division
Dharamjaigarh

उपवन मण्डलाधिकारी
धरमजयगढ़, उपवन मण्डल

78	रायगढ़	धरमजयगढ़	बाकारुमा	साजापाली	संरक्षित वन	93P	4630.059	0.5	0.232
79			बाकारुमा	ससकोबा	संरक्षित वन	100P	1923.906	0.5	0.096
80			बाकारुमा	रैरुमा पूर्व	संरक्षित वन	101P	1222.906	0.5	0.061
81			बाकारुमा	रैरुमा	संरक्षित वन	103P	1063.225	0.5	0.053
82			बाकारुमा	झिरकी	संरक्षित वन	104P	1031.299	0.5	0.052
83			बाकारुमा	सेमरकोना	संरक्षित वन	108P	426.217	0.5	0.021
84			बाकारुमा	अमलझारिया	संरक्षित वन	123P	1244.043	0.5	0.062
85			बाकारुमा	ढोढी	संरक्षित वन	128P	1137.986	0.5	0.057
86			बाकारुमा	सोहनपुर	संरक्षित वन	130P	12528.061	0.5	0.626
87			बाकारुमा	जामाबीरा	संरक्षित वन	147P	997.645	0.5	0.050
88			बाकारुमा	सिसरिंगा	संरक्षित वन	148P	4900.731	0.5	0.245
89			बाकारुमा	सिसरिंगा	संरक्षित वन	149P	1561.271	0.5	0.078
90			बाकारुमा	पुलैन्त	संरक्षित वन	150P	3408.824	0.5	0.170
91			बोरो	जमरगी	संरक्षित वन	599P	1006.400	0.5	0.050
92			बोरो	जमरगी	संरक्षित वन	600P	1265.227	0.5	0.063
93			बोरो	जबगा	संरक्षित वन	604P	1392.989	0.5	0.070
94			बोरो	जबगा	संरक्षित वन	606P	1636.882	0.5	0.082
95			बोरो	भौना	संरक्षित वन	608P	2484.054	0.5	0.124
96			बोरो	बोरो	संरक्षित वन	609P	2358.828	0.5	0.118
97			बोरो	बोरो	संरक्षित वन	610P	145.308	0.5	0.007
98			बोरो	पीपरकोना	संरक्षित वन	612P	730.880	0.5	0.037
99			बोरो	नेवार	संरक्षित वन	617P	1542.635	0.5	0.077
100			बोरो	सुनडेसा	संरक्षित वन	618P	518.686	0.5	0.026
101			बोरो	कमाईपहाड़	संरक्षित वन	629P	945.613	0.5	0.047
102			बोरो	कमाईपहाड़	संरक्षित वन	630P	2454.918	0.5	0.123
103			बोरो	डोमापहाड़	संरक्षित वन	633P	403.408	0.5	0.020
104			बोरो	बेलरनी	संरक्षित वन	640P	2166.046	0.5	0.108
105			छाल	लात	संरक्षित वन	478P	1485.074	0.5	0.074
106			छाल	लोटान	संरक्षित वन	484P	243.903	0.5	0.012
107			छाल	धूमापहाड़ी	संरक्षित वन	492P	289.811	0.5	0.014
108			छाल	बड़ेदरहा	संरक्षित वन	495P	933.372	0.5	0.047

109			छाल	बोजिया प.	संरक्षित वन	503P	643.121	0.5	0.032
110			छाल	बोजिया	संरक्षित वन	504P	1956.171	0.5	0.098
111			छाल	रिलो	संरक्षित वन	507P	3164.893	0.5	0.158
112			छाल	तरेकेला	संरक्षित वन	509P	1089.922	0.5	0.054
113			छाल	बनहर	संरक्षित वन	525P	4648.995	0.5	0.232
114			छाल	खरखर	संरक्षित वन	528P	491.314	0.5	0.025
115			छाल	खर्नाला	संरक्षित वन	529P	1010.900	0.5	0.051
116			छाल	गलीमार	संरक्षित वन	530P	860.813	0.5	0.043
117			छाल	सोलीहारी	संरक्षित वन	538P	3742.290	0.5	0.186
118			छाल	सोलीहारी	संरक्षित वन	539P	2092.158	0.5	0.105
119			छाल	मुनुंद	संरक्षित वन	540P	1185.934	0.5	0.059
120			छाल	गुरामहुआ	संरक्षित वन	547P	869.941	0.5	0.043
121			छाल	जामजुनवानी	संरक्षित वन	548P	1113.691	0.5	0.056
122			छाल	लोफट आउट	संरक्षित वन	552P	1230.210	0.5	0.062
123			छाल	लोफट आउट	संरक्षित वन	553P	467.814	0.5	0.023
124			छाल	जामझरिया	संरक्षित वन	554P	1716.784	0.5	0.086
125			छाल	टेढ़ीआमा	संरक्षित वन	559P	690.167	0.5	0.035
126			छाल	सांभरलोटन	संरक्षित वन	566P	292.023	0.5	0.015
127			छाल	रजमार	संरक्षित वन	590P	1447.085	0.5	0.072
128			छाल	रजमार	संरक्षित वन	591P	3118.175	0.5	0.156
129			छाल	सरिया	संरक्षित वन	592P	1002.025	0.5	0.050
130			धरमजयगढ़	लक्ष्मीपुर	संरक्षित वन	353P	260.775	0.5	0.013
131			धरमजयगढ़	कदममुड़ा	संरक्षित वन	354P	1054.954	0.5	0.053
132			धरमजयगढ़	पतरापारा	संरक्षित वन	362P	4738.303	0.5	0.237
133			धरमजयगढ़	तेंदूमार प.	संरक्षित वन	363P	1854.325	0.5	0.093
134			धरमजयगढ़	मेढरमार	संरक्षित वन	364P	810.361	0.5	0.041
135			धरमजयगढ़	शेरबंद बीजापतरा	संरक्षित वन	365P	1701.076	0.5	0.085
136			धरमजयगढ़	करमापथरा	संरक्षित वन	375P	4119.865	0.5	0.206
137			धरमजयगढ़	बगधरी	संरक्षित वन	378P	974.081	0.5	0.049
138			धरमजयगढ़	रनाई	संरक्षित वन	379P	854.068	0.5	0.043
139			धरमजयगढ़	उंचमुड़ी	संरक्षित वन	380P	2888.257	0.5	0.144

140			धरमजयगढ़	तेंदूमार उत्तर	संरक्षित वन	383P	2657.277	0.5	0.133
141			धरमजयगढ़	तेंदूमार उत्तर	संरक्षित वन	384P	5837.581	0.5	0.292
142			धरमजयगढ़	कुधरी	संरक्षित वन	415P	1463.135	0.5	0.073
143			धरमजयगढ़	मालूमूड़ा	संरक्षित वन	421P	1648.258	0.5	0.082
144			धरमजयगढ़	बनबहरि	संरक्षित वन	422P	900.568	0.5	0.045
145			धरमजयगढ़	सूखीतराई	संरक्षित वन	440P	594.648	0.5	0.030
146			धरमजयगढ़	बरतापाली	संरक्षित वन	447P	1206.472	0.5	0.060
147			धरमजयगढ़	पबासी	संरक्षित वन	458P	2332.250	0.5	0.117
148			धरमजयगढ़	करमगढ़ी	संरक्षित वन	466P	819.605	0.5	0.041
149			धरमजयगढ़	पण्डरीपानी	संरक्षित वन	467P	1497.335	0.5	0.075
150			धरमजयगढ़	पोड़ाडाही	संरक्षित वन	469P	1695.913	0.5	0.085
151			धरमजयगढ़	उदउदा	संरक्षित वन	470P	1764.261	0.5	0.088
152			धरमजयगढ़	लालमाटी	संरक्षित वन	476P	5706.233	0.5	0.285
153			कापू	इंचपारा	संरक्षित वन	39P	1356.324	0.5	0.068
154			कापू	कुमरता प.	संरक्षित वन	43P	425.719	0.5	0.021
155			कापू	कुमरता प.	संरक्षित वन	44P	280.404	0.5	0.014
156			कापू	कुमरता पूर्व	संरक्षित वन	47P	1773.439	0.5	0.089
157			कापू	गोलाबुड़ा	संरक्षित वन	53P	440.130	0.5	0.022
158			कापू	मांड	संरक्षित वन	57P	188.874	0.5	0.009
159			लैलूगा	आमापाली	संरक्षित वन	194P	3321.631	0.5	0.166
160			लैलूगा	बरहाटोंगरी	संरक्षित वन	201P	617.039	0.5	0.031
161			लैलूगा	रंगाझरिया	संरक्षित वन	203P	239.103	0.5	0.012
162			लैलूगा	नवापारा	संरक्षित वन	204P	345.576	0.5	0.017
163			लैलूगा	घियारमुंडा	संरक्षित वन	208P	851.356	0.5	0.043
164			लैलूगा	खम्हार	संरक्षित वन	209P	830.505	0.5	0.042
165			लैलूगा	लैलूगा	संरक्षित वन	210P	2679.758	0.5	0.135
166			लैलूगा	गहनाझरिया	संरक्षित वन	216P	802.482	0.5	0.040
167			लैलूगा	पोतरा	संरक्षित वन	221P	873.275	0.5	0.044
168			लैलूगा	बरतुड़ा	संरक्षित वन	237P	228.404	0.5	0.011
169			लैलूगा	बम्हनीमुड़ा	संरक्षित वन	238P	810.599	0.5	0.041
170			लैलूगा	पण्डरीपानी पश्चिम	संरक्षित वन	239P	805.428	0.5	0.040

171		लैलूगा	पण्डरीपानी पूर्व	संरक्षित वन	240P	309.234	0.5	0.015
172		लैलूगा	चिदाकंचा	संरक्षित वन	241P	441.269	0.5	0.022
173		लैलूगा	चिटकोना	संरक्षित वन	242P	1121.745	0.5	0.056
174		लैलूगा	चितईघुटरी	संरक्षित वन	251P	726.514	0.5	0.036
175		लैलूगा	खर्लुंगरा	संरक्षित वन	257P	1132.280	0.5	0.057
176		लैलूगा	मुकडेगा द.	संरक्षित वन	259P	598.488	0.5	0.030
177		लैलूगा	कटकलिया द.	संरक्षित वन	260P	462.451	0.5	0.023
178		लैलूगा	खार	संरक्षित वन	263P	1189.401	0.5	0.059
179		लैलूगा	केसला	संरक्षित वन	264P	601.518	0.5	0.030
180		लैलूगा	डेंगूदहरा	संरक्षित वन	265P	1089.421	0.5	0.054
181		लैलूगा	डेरुमा	संरक्षित वन	266P	184.807	0.5	0.009
182		लैलूगा	रुनियाखार	संरक्षित वन	267P	169.525	0.5	0.008
183		लैलूगा	कुंडकेल	संरक्षित वन	268P	678.028	0.5	0.034
184		लैलूगा	भुलसीपहारी	संरक्षित वन	271P	233.576	0.5	0.012
185		लैलूगा	कराडेगा	संरक्षित वन	279P	989.428	0.5	0.049
186		लैलूगा	कोटरीखोल	संरक्षित वन	290P	6605.855	0.5	0.330
187		लैलूगा	डोंगरभौना	संरक्षित वन	300P	4457.035	0.5	0.223
188		लैलूगा	नवाडीहा	संरक्षित वन	301P	312.094	0.5	0.016
189		लैलूगा	बेन्दराखोल	संरक्षित वन	302P	762.529	0.5	0.038
190		लैलूगा	गहिरा पूर्व	संरक्षित वन	307P	1360.184	0.5	0.068
191		लैलूगा	नहरकेला	संरक्षित वन	309P	674.299	0.5	0.034
192		लैलूगा	टटकेला	संरक्षित वन	310P	1320.882	0.5	0.066
193		लैलूगा	तोलगे पू	संरक्षित वन	328P	368.010	0.5	0.018
194		लैलूगा	गेरुपानी	संरक्षित वन	329P	3687.680	0.5	0.185
195		लैलूगा	लमडांड	संरक्षित वन	330P	1593.107	0.5	0.080
196		लैलूगा	एकरा	संरक्षित वन	335P	359.187	0.5	0.018
197		लैलूगा	तोलगे उ.	संरक्षित वन	336P	5079.920	0.5	0.254
198		लैलूगा	पोटेविरनी	संरक्षित वन	339P	1029.873	0.5	0.051
199		लैलूगा	केनापारा	संरक्षित वन	349P	1658.938	0.5	0.083
200	उप वन मण्डलाधिकारी	लैलूगा	लारीपानी	संरक्षित वन	352P	701.916	0.5	0.035
लैलूगा उपवनमण्डल संरक्षित वनभूमि का योग—						195063.474	0.5	9.751

वन परिक्षेत्राधिकारी
छाल परिक्षेत्र
वनमण्डल, धरमजयगढ़

वन परिक्षेत्र अधिकारी
लैलूगा

वन परिक्षेत्र अधिकारी
परिक्षेत्र बोरो

वन परिक्षेत्र अधिकारी
कापू(सा.)

वन परिक्षेत्राधिकारी
धरमजयगढ़

Divisional Forest Officer
Dharamjagarh Forest Division
Dharamjagarh

उपवन मण्डलाधिकारी
धरमजयगढ़, उपवन मण्डल

क्र.	जिला	प्रभावित वनमण्डल का नाम	तहसील का नाम	ग्राम का नाम	प्रभावित भूमि का प्रकार	खसरा क्र.	लम्बाई (मी.)	चौड़ाई (मी.)	क्षेत्रफल (हे.)
1	रायगढ़	धरमजयगढ़	धरमजयगढ़	आमगांव	राजस्व वन	152/1/ढ/1	413.372	0.5	0.021
2			धरमजयगढ़	बोरो	राजस्व वन	280/11	714.958	0.5	0.036
3			धरमजयगढ़	बोरो	राजस्व वन	272/1	36.314	0.5	0.002
4			धरमजयगढ़	बोरो	राजस्व वन	349/1/क/1	271.952	0.5	0.014
			धरमजयगढ़	बोरो	राजस्व वन	46/1	42.734	0.5	0.002
6			धरमजयगढ़	बोरो	राजस्व वन	41/1क	99.608	0.5	0.005
7			धरमजयगढ़	बोरो	राजस्व वन	73/1	24.325	0.5	0.001
8			धरमजयगढ़	बोरो	राजस्व वन	75/1	118.889	0.5	0.006
9			धरमजयगढ़	जबगा	राजस्व वन	182/1क	123.115	0.5	0.006
10			धरमजयगढ़	जबगा	राजस्व वन	242/1	528.16	0.5	0.026
11			धरमजयगढ़	जमरगीडी	राजस्व वन	448/1	29.121	0.5	0.001
12			धरमजयगढ़	जबगा	राजस्व वन	104/1	254.383	0.5	0.013
13			धरमजयगढ़	कुमा	राजस्व वन	66	31.936	0.5	0.002
14			धरमजयगढ़	कुमा	राजस्व वन	231	10.809	0.5	0.001
15			धरमजयगढ़	पखनाकोट	राजस्व वन	502/1	507.24	0.5	0.025
16			धरमजयगढ़	रिलो	राजस्व वन	110/1 क/1	355.734	0.5	0.018
17			धरमजयगढ़	रिलो	राजस्व वन	295/1 क	131.369	0.5	0.007
18			धरमजयगढ़	ससकोबा	राजस्व वन	502/18	186.032	0.5	0.009
19			धरमजयगढ़	ससकोबा	राजस्व वन	382/1क	1453.48	0.5	0.073
20			धरमजयगढ़	ससकोबा	राजस्व वन	505/1क	84.167	0.5	0.004
21			धरमजयगढ़	सिसरिंगा	राजस्व वन	944/1क	262.404	0.5	0.013

22			धरमजयगढ़	सिसरिंगा	राजस्व वन	952/1	102.326	0.5	0.005
23			धरमजयगढ़	सिसरिंगा	राजस्व वन	508/3	1285.158	0.5	0.064
24			धरमजयगढ़	सिवार	राजस्व वन	185/2	222.919	0.5	0.011
25			लैलूगा	गमेकेला	राजस्व वन	452/5	100.479	0.5	0.005
26			लैलूगा	करवारजोर	राजस्व वन	220	104.083	0.5	0.005
27			लैलूगा	करवारजोर	राजस्व वन	224	19.159	0.5	0.001
28			लैलूगा	पाकरगाँव	राजस्व वन	31/14	82.959	0.5	0.004
29			लैलूगा	पाकरगाँव	राजस्व वन	31/2	57.652	0.5	0.003
30			लैलूगा	सोनाजोरी	राजस्व वन	537/1	223.421	0.5	0.011
31			लैलूगा	सोनाजोरी	राजस्व वन	835/1	260.893	0.5	0.013
राजस्व वनभूमि का योग-							8139.151	0.5	0.407
कुल योग-							346588.406	0.5	17.329

संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी
छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स)
रायपुर छत्तीसगढ़

उपवन मण्डलाधिकारी
धरमजयगढ़, उपवन मण्डल



उप वनमण्डलाधिकारी
लैलूगा उपवनमण्डल

वन परिक्षेत्र अधिकारी
परिक्षेत्र बोरो

वन परिक्षेत्र अधिकारी
कामगू (सा.)

वन परिक्षेत्र अधिकारी
लैलूगा

वन परिक्षेत्राधिकारी
छाल परिक्षेत्र
वनमण्डल, धरमजयगढ़

वन परिक्षेत्राधिकारी
धरमजयगढ़

Divisional Forest Officer
Dharamjaigarh Forest Division
Dharamjaigarh

गैर वनक्षेत्र का विवरण

भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना "भारतनेट प्रोजेक्ट फेस -II" के अन्तर्गत संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स), रायपुर, छत्तीसगढ़ द्वारा रायगढ़ जिला के धरमजयगढ़ वनमण्डल क्षेत्रांतर्गत धरमजयगढ़ एवं लैलूगा ब्लॉक के अधीनस्थ ग्राम पंचायतों को ब्लाक मुख्यालय से जोड़ने वाले मार्गों के मौजूदा मौजूदा राईट-ऑफ-वे के अन्तर्गत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु प्रभावित गैर वनक्षेत्र का कुल रकबा 32.284 हे. है।


संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी
छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स)
रायपुर छत्तीसगढ़



**प्रत्यावर्तित हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र का सर्वे ऑफ इंडिया का
मूल टोपोशीट स्केल 1:50000 पर**

भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना "भारतनेट प्रोजेक्ट फेस -II" के अन्तर्गत संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स), रायपुर, छत्तीसगढ़ द्वारा रायगढ़ जिला के धरमजयगढ़ वनमण्डल वनमण्डल क्षेत्रांतर्गत अधीनस्थ ग्राम पंचायतों को ब्लाक मुख्यालय से जोड़ने वाले मार्गों के मौजूदा राईट-ऑफ-वे के अन्तर्गत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु प्रभावित वनक्षेत्र का सर्वे आफ इंडिया का टोपोशीट 1:50000 स्केल पर मानचित्र संलग्न है।


संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी
छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स)
रायपुर छत्तीसगढ़


वनमण्डलाधिकारी,
धरमजयगढ़ वनमण्डल,
जिला -रायगढ़, (छत्तीसगढ़).



वन क्षेत्र का इन्डेक्स मैप

भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना "भारतनेट प्रोजेक्ट फेस - II" के अन्तर्गत संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स), रायपुर, छत्तीसगढ़ द्वारा रायगढ़ जिला के धरमजयगढ़ वनमण्डल क्षेत्रांतर्गत अधीनस्थ ग्राम पंचायतों को ब्लाक मुख्यालय से जोड़ने वाले मार्गों के मौजूदा राईट-ऑफ-वे के अन्तर्गत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु प्रभावित वनक्षेत्र का 1:15000 स्केल पर इंडेक्स मैप संलग्न है।

संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी
छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स)
रायपुर छत्तीसगढ़

वनमण्डलाधिकारी,
धरमजयगढ़ वनमण्डल,
जिला -रायगढ़, (छत्तीसगढ़).



FORM- IV

राज्य सरकारों तथा अन्य प्राधिकरणों द्वारा भेजे प्रस्तावों को धारा 2 के अंतर्गत पूर्व मंजूरी लेने प्रारूप

I	परियोजना ब्यौरे :-	
i.	उन प्रस्तावों तथा परियोजना/स्कीम का संक्षिप्त वर्णन जिसके लिये वनभूमि अपेक्षित है -	भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना "भारतनेट प्रोजेक्ट फेस - II" के अन्तर्गत संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स), रायपुर, छत्तीसगढ़ द्वारा रायगढ़ जिला के धरमजयगढ़ वनमण्डल क्षेत्रांतर्गत अन्तर्गत अधीनस्थ ग्राम पंचायतों को ब्लाक मुख्यालय से जोड़ने वाले मार्गों के मौजूदा राईट-ऑफ-वे के अन्तर्गत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु प्रभावित 16.922 हे. वनभूमि एवं 0.407 हे. राजस्व वनभूमि, कुल वनभूमि रकबा 17.329 हे. वनभूमि प्रस्तावित है।
ii.	अपेक्षित वनक्षेत्र का मदवार ब्यौरा (ऐसे अधिकारी द्वारा प्राप्त किया जाना है, जो उप वन संरक्षक की श्रेणी से कम श्रेणी का अधिकारी नहीं हो) -	धरमजयगढ़ वनमंडल - 17.329 हैं. आरक्षित वन - 7.171 हैं. संरक्षित वन - 9.751 हैं. राजस्व वन - 0.407 हैं.
iii.	परियोजना की कुल लागत -	54 करोड़ 33 लाख
iv.	परियोजना को वनक्षेत्र में लगाने का औचित्य, तथा इसके लिये जिन वैकल्पिक स्थानों की जाँच की गई उनको दर्शाते हुए और नामंजूर करने के कारण बताए जाऐ -	रायगढ़ जिला के धरमजयगढ़ वनमण्डल क्षेत्रांतर्गत अन्तर्गत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु माँग कि गई वनभूमि न्युनतम है। इसमें वृक्ष विदोहन नहीं होना है तथा तकनीकी दृष्टीकोण से अत्यंत उपयुक्त है। इस परियोजना में समस्त पहलुओं को जाचने के उपरांत निकर्ष निकला कि वनभूमि के उपयोग को नकारा नहीं जा सकता है।
v.	वित्तीय तथा सामाजिक लाभ -	रायगढ़ जिला के धरमजयगढ़ वनमण्डल क्षेत्रांतर्गत धरमजयगढ़ एवं लैलूगा ब्लॉक के अधीनस्थ ग्राम पंचायतों को ब्लाक मुख्यालय से जोड़नेसे समस्त ग्राम पंचायत डिजिटलीकृत हो जायेंगे जिससे ग्राम वासियों के पंचायत सम्बंधित कार्य त्वरित गति से तथा सुचारु रूप से सम्पादित होंगे।

vi.	कुल लाभान्वित होने वाली आबादी -	रायगढ़ जिला के धरमजयगढ़ वनमण्डल क्षेत्रांतर्गत धरमजयगढ़ एवं लैलूगा ब्लॉक के अधीनस्थ ग्राम पंचायतों के ग्रामवासी रायगढ़।
vii.	सृजित रोजगार	निरंक
2	परियोजना स्कीम का स्थान :-	
i	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश -	छत्तीसगढ़
ii	जिला -	रायगढ़
iii	वन प्रभाग, वनखण्ड, कम्पार्टमेन्ट -	संलग्न पेज क्रमांक 05 से 14 तक।
3	मौजूदा भूमि उपयोग सहित परियोजना /स्कीम के लिए कुल अपेक्षित भूमि का मदवार ब्यौरा -	धरमजयगढ़ वनमंडल - 17.329 हैं. आरक्षित वन - 7.171 हैं. संरक्षित वन- 9.751 हैं. राजस्व वन- 0.407 हैं.
4	शामिल वनभूमि का ब्यौरा -	
i	वन की वैधानिक स्थिति (नामत: आरक्षित/ सुरक्षित/अवर्गीकृत आदि) -	धरमजयगढ़ वनमंडल - 17.329 हैं. आरक्षित वन - 7.171 हैं. संरक्षित वन- 9.751 हैं. राजस्व वन- 0.407 हैं.
ii	क्षेत्र में मौजूद वनस्पति जात और प्राणीजात का ब्यौरा -	प्रस्तावित ओ.एफ.सी. लाइन विद्यमान मार्गों के राइट ऑफ वे में बिछाया जाना है। जिसमें किसी भी प्रकार के खड़े वृक्ष नहीं है अतः क्षेत्र में मौजूद वनस्पति जात और प्राणीजात का ब्यौरा आवश्यक नहीं है।
iii	वनस्पति की सघनता -	0.4-0.6
iv	वृक्षों की प्रजातिवार तथा श्रेणीवार सार -	प्रस्तावित ओ.एफ.सी. लाइन विद्यमान मार्गों के राइट ऑफ वे में बिछाया जाना है। जिसमें किसी भी प्रकार के खड़े वृक्ष नहीं है अतः वृक्षों की प्रजातिवार तथा श्रेणीवार सार आवश्यक नहीं है।
v	भूमि कटाव के लिए वनक्षेत्र का महत्व क्या यह गंभीर रूप से क्षरित क्षेत्र का हिस्सा (भाग) है अथवा नहीं -	आवश्यक नहीं है।

vi	क्या यह राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य, प्रकृति आरक्षित जीव मंडल रिजर्व आदि का एक हिस्सा (भाग) है, यदि हो तो इसमें शामिल क्षेत्र का ब्यौरा दें (मुख्य वन जीव वार्डन की विशिष्ट टिप्पणीयों को संलग्न करें)	आवश्यक नहीं है।
vii	विभिन्न प्रयोजनों के लिए परियोजना /स्कीम के लिए अपेक्षित वनभूमि का मदवार ब्यौरा –	ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु कुल रकबा 17.392 हैं. भूमि उपयोग की जानी है। धरमजयगढ़ वनमंडल – 17.329 हैं. आरक्षित वन – 7.171 हैं. संरक्षित वन– 9.751 हैं. राजस्व वन– 0.407 हैं.
viii	क्षेत्र में पाये जाने वाली दुर्लभ/संकटपत्र वनस्पतियों व प्राणीजातों की प्रजातियां –	नहीं है।
ix	क्या यह प्रवासी जीव जन्तु के लिए एक वास स्थल है, या उसके लिये प्रजनन भूमि का एक भाग है	नहीं है।
x	प्रस्ताव के संगत क्षेत्र का कोई अन्य महत्व	नहीं है।
5	परियोजना के कारण विस्थापित व्यक्तियों का ब्यौरा –	
i	विस्थापित होने वाले परिवारों की कुल संख्या	निरंक
ii	विस्थापित होने वाले अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के परिवारों की संख्या	निरंक
iii	विस्तृत पुनर्वास योजना –	निरंक
6	क्षतिपूरक वन स्कीम के ब्यौरे –	
i	क्षतिपूरक वनरोपण के लिए पहचान किये गये गैर वनक्षेत्र अवक्रमित वनक्षेत्र का ब्यौरा, निकटवर्ती वनों से इसकी दूरी, हिस्सों की संख्या प्रत्येक हिस्से का आकार –	लीनियर प्रकरण होने के कारण क्षतिपूरक वनरोपण आवश्यक नहीं है। दस्तावेज संलग्न है।
ii	क्षतिपूरक वन रोपण के लिए पहचान किये गये वनक्षेत्र /अवक्रमित वनक्षेत्र तथा निकटवर्ती वन सीमाओं को दर्शाने वाला मानचित्र –	आवश्यक नहीं है।

iii	रोपण की जाने वाली प्रजातियों कार्यान्वयन एजेन्सी, समय सूची लागत ढाचा आदि सहित विस्तृत क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम -	आवश्यक नहीं है।
iv	क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के लिये कुल वित्तीय परिव्यय -	आवश्यक नहीं है।
v	वन रोपण के लिये क्षतिपूरक वन रोपण हेतु पहचान किये गये क्षेत्र की उपर्युक्ता के बारे में और प्रबन्ध की दृष्टि में सक्षम प्राधिकारी से प्रमाण-पत्र (किसी ऐसे अधिकारी द्वारा हस्ता. किये जायें जो कि उप वन संरक्षक की श्रेणी के नीचे का अधिकारी न हो)	आवश्यक नहीं है।
vi	क्षतिपूरक वन रोपण के लिये वनेत्तर भूमि उपलब्ध न होने के बारे में मुख्य सचिव से प्रमाण पत्र -	आवश्यक नहीं है।
vii	पारेषण लाइनों के बारे में ब्यौरे केवल पारेषण लाइनों के प्रस्तावों के लिये -	आवश्यक नहीं है।
	a. पारेषण लाईन की कुल लम्बाई -	आवश्यक नहीं है।
	b. वनक्षेत्र के होकर गुजरने वाली लाईन की लम्बाई -	आवश्यक नहीं है।
	c. मार्ग का अधिकार -	आवश्यक नहीं है।
	d. निर्मित किये जाने वाले टावरों की संख्या -	आवश्यक नहीं है।
	e. वनक्षेत्र में निर्मित किये जाने वाले टावरों की संख्या -	आवश्यक नहीं है।
	f. पारेषण टावरों की ऊंचाई -	आवश्यक नहीं है।
7	सिंचाई/वन विद्युत परियोजनाओं के (केवल सिंचाई वन विद्युत परियोजनाओं के लिए -	
i	कुल आवाह क्षेत्र -	आवश्यक नहीं है।
ii	कुल कमानु क्षेत्र -	आवश्यक नहीं है।
iii	कुल जलाशय स्तर -	आवश्यक नहीं है।
iv	उच्च बाढ़ स्तर -	आवश्यक नहीं है।

v	न्यूनतम प्राप्ति स्तर -	आवश्यक नहीं है।
vi	परियोजना के आवाह क्षेत्र में आने वाले क्षेत्र का ब्यौरा (वनभूमि, कृषि की गई भूमि, चारागृह भूमि, मावन आबादी तथा अन्य) -	आवश्यक नहीं है।
vii	उच्च बाढ़ स्तर पर जलमग्न क्षेत्र-	आवश्यक नहीं है।
viii	पूर्ण जलाशय स्थल पर जलमग्न क्षेत्र-	आवश्यक नहीं है।
ix	पूर्ण जलाशय का स्तर से 2 मीटर नीचे जलमग्न क्षेत्र	आवश्यक नहीं है।
x	पूर्ण जलाशय स्तर से 4 मीटर नीचे जलमग्न क्षेत्र (केवल मझोली व बड़ी परियोजनाओं के लिये)	आवश्यक नहीं है।
xi	न्यूनतम निकासी स्तर से जलमग्न क्षेत्र -	आवश्यक नहीं है।
xii	विस्तृत आवाह क्षेत्र सुधार योजना -	आवश्यक नहीं है।
xiii	कुल वित्तीय परिव्यय क्षेत्र सुधार योजना के लिये निधियों की उपलब्धता के बारे में -	आवश्यक नहीं है।
8	सड़क /रेल लाईनों के बारे में ब्यौरे -	आवश्यक नहीं है।
9	केवल सड़क /लाईनों के प्रस्तावों के लिये -	आवश्यक नहीं है।
i	पट्टी की अपेक्षित लम्बाई, चौड़ाई और वनक्षेत्र	आवश्यक नहीं है।
ii	सड़क की कुल लम्बाई -	आवश्यक नहीं है।
iii	पहले बनाई जा चुंकि सड़क की कुल लम्बाई -	आवश्यक नहीं है।
10	खनन प्रस्तावों के बारे में ब्यौरे (केवल खनन प्रस्तावों के लिये)	आवश्यक नहीं है।
i	कुल खनन पट्टा क्षेत्र और अपेक्षित वनक्षेत्र	आवश्यक नहीं है।
ii	प्रस्तावित खनन पट्टे की अवधि -	आवश्यक नहीं है।
iii	वनक्षेत्र और गैर वनक्षेत्र में प्रत्येक खनिज/कच्चे धातु का अनुमानित भण्डार -	आवश्यक नहीं है।

iv	खनिज/कच्चे धातु का वार्षिक अनुमानित उत्पादन -	आवश्यक नहीं है।
v	खनन कार्यों की किस्म (खुली खदान/भूमिगत)	आवश्यक नहीं है।
vi	चरणबद्ध सुधार योजना -	आवश्यक नहीं है।
vii	जिस क्षेत्र में खनन कार्य किया जायेगा उसका प्लान -	आवश्यक नहीं है।
viii	पट्टा संलेख की प्रति संलग्न की जायें -	आवश्यक नहीं है।
ix	नियुक्त की जाने वाली श्रमिकों की संख्या -	आवश्यक नहीं है।
x	निम्नलिखित के लिये अपेक्षित वनभूमि का क्षेत्रफल -	आवश्यक नहीं है।
	a. खनन -	आवश्यक नहीं है।
	b. खनिज/कच्चे धातु का भण्डारन -	आवश्यक नहीं है।
	c. अधिभार को जमा करना -	आवश्यक नहीं है।
	d. औजारों एवं मशीनों का भण्डारन -	आवश्यक नहीं है।
	e. भवनों, बिजलीघरों, कार्यशालाओं आदि का निर्माण	आवश्यक नहीं है।
	f. शहर, आवास, कालोनियां -	आवश्यक नहीं है।
	g. सड़क/रेल्वे मार्ग/रज्जु मार्ग कारायगढ़रायगढ़निर्माण	आवश्यक नहीं है।
	h. अपेक्षित वनक्षेत्र की पूर्ण भूमि उपयोग योजना	आवश्यक नहीं है।
i.	परियोजना के तहत ऊपर (क) से (ज) तक उल्लेखित जिन गतिविधियों के लिये वनभूमि की मांग की गई है, उनका वनक्षेत्र से बाहर शुरू/स्थापित न किये जाने के क्या कारण हैं	आवश्यक नहीं है।

ii.	खनन और सम्बन्धित गतिविधियों के परिणामस्वरूप होने वाली सम्भावित क्षति और प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या -	आवश्यक नहीं है।
iii.	बारहमासी नदियों के मार्गों राष्ट्रीय राजमार्गों, राष्ट्रीय उद्यानों, अभ्यारण्यों और जीव मंडल रिजर्वों के खनन की दूरी -	आवश्यक नहीं है।
iv.	पुनः प्रयोग के लिये ऊपरी सतह मिट्टी (उपरिमृदा) के भण्डार की प्रक्रिया)	आवश्यक नहीं है।
v.	भूमिगत खनन कार्यों में अपेक्षित अवतलन की मात्रा और जल, वन, तथा अन्य वनस्पतियों पर उसका प्रभाव -	आवश्यक नहीं है।
11	लागत लाभ विश्लेषण -	आवश्यक नहीं है।
12	क्या पर्यावरण स्वीकृति/अपेक्षित है (हां/नहीं) यदि हां तो क्या उसके अपेक्षित ब्यौरे प्रस्तुत कर दिये गये हैं (हां/नहीं)	आवश्यक नहीं है।
13	क्या अधिनियम का उल्लंघन करते हुये कोई कार्य किया गया है.(हां/नहीं) यदि हां तो -	नहीं।
	a. शुरू होने की तारीख सहित उसके ब्यौरे -	नहीं।
	b. अधिनियम के उल्लंघन के लिये जिम्मेदार अधिकारी -	नहीं।
	c. गलती करने वाले अधिकारियों के खिलाफ की गई/की जा रही कार्यवाही -	नहीं।
	d. क्या अभी भी अधिनियमों का उल्लंघन करते हुये कार्य किया जा रहा है -	नहीं।
14	कोई अन्य सूचना -	नहीं है।
15	संग्रहित किये गये प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों के ब्यौरे-	चेक लिस्ट अनुसार सभी दस्तावेज
16	निम्नलिखित पहलुओं के बारे में संबंधित मुख्य वन संरक्षक वन विभाग के अध्यक्ष के विस्तृत विचार अर्थात् -	भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना "भारतनेट प्रोजेक्ट फेस - II" के अन्तर्गत संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी,

i.	इसमें सम्मिलित वन भूमि से इमारती लकड़ी, जलाने, की लकड़ी, और अन्य वन उत्पाद –	छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स), रायपुर, छत्तीसगढ़ द्वारा रायगढ़ जिला के धरमजयगढ़ वनमण्डल क्षेत्रांतर्गत अन्तर्गत ग्राम पंचायतों को ब्लॉक मुख्यालय से जोड़ने वाले मार्गों के मौजूदा राईट-ऑफ-वे के अन्तर्गत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु प्रभावित 16.922 हे. वनभूमि एवं 0.407 हे. राजस्व वनभूमि, कुल वनभूमि रकबा 17.329 हे. वनभूमि प्रस्तावित है। प्रस्तावित वन क्षेत्र में मार्ग के राईट ऑफ वे के अंतर्गत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने से ग्रामीण आबादी के जलाऊ लकड़ी आपूर्ति तथा आदिवासीयो और पिछाडे समुदायो के जीविकोपार्जन में किसी प्रकार का प्रभाव नही पड़ेगा।
ii.	क्या जिला इमारती लकड़ी और जलाने की लकड़ी में आत्म निर्भर है	
iii.	निम्नलिखित प्रस्ताव के प्रभाव –	
	a. ग्रामीण आबादी के लिये जलाने की लकड़ी की आपूर्ति –	
	b. आदिवासियों और पिछड़े समुदायों की अर्थव्यवस्था और जीविका –	
iv.	कारणों सहित प्रस्ताव को स्वीकार करने या न करने के लिये मुख्य वन संरक्षक/वन विभाग के अध्यक्ष की विशिष्ट सिफारिशें –	

प्रमाणित किया जाता है कि उद्देश्य के लिये सभी अन्य विकल्पों का पता लगा लिया गया है और अपेक्षित क्षेत्र के लिये मांग वनभूमि की न्यूनतम मांग है।

संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी
छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स)
रायपुर छत्तीसगढ़



वनमण्डलाधिकारी,
धरमजयगढ़ वनमण्डल,
जिला –रायगढ़, (छत्तीसगढ़).

उप. वनमंडलाधिकारी
लैलूगा,
जिला –रायगढ़, (छत्तीसगढ़).

उप. वनमंडलाधिकारी
धरमजयगढ़,
जिला –रायगढ़, (छत्तीसगढ़).

छत्तीसगढ़ शासन

वन विभाग

नया मंत्रालय भवन, रायपुर

क्रमांक एफ 7-3/2018/10-2

रायपुर, दिनांक 26/05/2018

प्रति,

समस्त वन मंडलाधिकारी (क्षेत्रीय)

छत्तीसगढ़

विषय:- भूमिगत ऑप्टिकल फाइबर केबल/भूमिगत टेलीफोन लाईन/भूमिगत विद्युत केबल बिछाने के प्रकरणों में वन भूमि व्यपवर्तन के प्रकरणों में स्वीकृति जारी करने के संबंध में

- संदर्भ:- 1. भारत सरकार, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय का पत्र क्रमांक/11-9/98-FC, दिनांक 16.10.2000
2. भारत सरकार, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय का पत्र क्रमांक/11-9/98-FC, दिनांक 31.10.2001
3. भारत सरकार, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय का पत्र क्रमांक/11-9/98-FC, दिनांक 23.12.2002
4. भारत सरकार, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय का पत्र क्रमांक/11-9/98-FC, दिनांक 19.09.2003
5. भारत सरकार, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय का पत्र क्रमांक/11-9/98-FC, दिनांक 15.06.2004
6. भारत सरकार, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय का पत्र क्रमांक/11-9/98-FC, दिनांक 21.11.2005
7. भारत सरकार, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय का पत्र क्रमांक/11-9/98-FC, दिनांक 26.12.2007
8. भारत सरकार, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय का पत्र क्रमांक/11-9/98-FC, दिनांक 08.04.2009
9. भारत सरकार, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय का पत्र क्र. 5-3/2007-FC, दिनांक 05.02.2009
10. अपर प्रधान मुख्य संरक्षक (भू-प्रबंध) का पत्र क्रमांक/भू-प्रबंध/विविध/115-30/547 दिनांक 22.02.2018

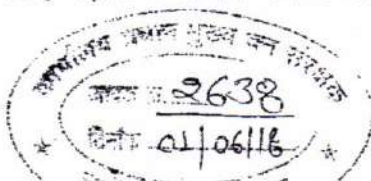
विविध-२

प्रमाण पत्र के अभाव में

—000—

1.0 भारत शासन, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा पत्र क्रमांक/11-9/98-FC, दिनांक 16.10.2000 (संदर्भ-1) एवं पत्र क्रमांक/11-9/98-FC, दिनांक 31.10.2001 (संदर्भ-2) से वन भूमि पर भूमिगत टेलीफोन लाईन/ऑप्टिकल फाइबर केबल/भूमिगत विद्युत केबल बिछाने के लिये वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अंतर्गत सामान्य अनुमोदन जारी करते हुए, इस हेतु वन भूमि व्यपवर्तन की स्वीकृति दो वर्ष की अवधि के लिए दी गई थी, तथा यह शर्त अधिरोपित की गई थी कि आवेदक संस्थान को स्थानीय अधिनियमों/नियमों इत्यादि के अंतर्गत राज्य शासन, वन विभाग से स्वीकृति प्राप्त करनी होगी।

2.0 भारत सरकार, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के पत्र क्रमांक/11-9/98-FC, दिनांक 23.12.2002 (संदर्भ-3) द्वारा उक्त समयावधि को एक वर्ष के लिए अर्थात् 15.10.2003 के लिए बढ़ाया गया। पुनः वन भारत सरकार के पत्र क्रमांक/11-9/98-FC, दिनांक 19.09.2003 (संदर्भ-4) द्वारा उक्त समयावधि को 15.10.2005 तक के लिए बढ़ाया गया। इसके उपरान्त भारत सरकार के पत्र क्रमांक/11-9/98-FC, दिनांक 21.11.2005 (संदर्भ-6) द्वारा उक्त समयावधि को 15.10.2007 तक के लिए बढ़ाया गया। फिर भारत सरकार के पत्र क्रमांक/11-9/98-FC, दि. 26.12.2007 (संदर्भ-7) द्वारा उक्त समयावधि को 31.12.2008 तक के लिए बढ़ाया गया। तदुपरांत भारत सरकार के पत्र क्रमांक/11-9/98-FC, दिनांक 08.04.2009 (संदर्भ-8) द्वारा उक्त समयावधि को आगामी आदेश तक के लिए बढ़ाया गया है। अतः उक्त सामान्य अनुमोदन वर्तमान में प्रभावशील है।



2638

2764
2015

3.0 भारत सरकार, वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय के द्वारा पत्र क्रमांक/11-9/98-FC, दिनांक 15.06.2004 (संदर्भ-5) के माध्यम से यह स्पष्ट किया गया कि संदर्भ पत्र 1 और 2 के तहत उल्लेखित कार्यों के प्रकरण में चूँकि वृक्षों का विदोहन शामिल नहीं है अतः क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की आवश्यकता नहीं है।

4.0 भारत सरकार, वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय के द्वारा पत्र क्र. /5-3/2007-FC, दि. 05.02.2009 (संदर्भ-9) के माध्यम से लेख किया गया कि भूमिगत आप्टिकल फाईबर लाईन बिछाने के प्रकरणों में प्रत्याशा मूल्य से पूर्ण छूट का प्रावधान है, बशर्ते कोई वृक्ष नहीं कट रहा हो एवं आवेदित वन क्षेत्र राष्ट्रीय उद्यान अथवा अभ्यारण्य का भाग न हो।

5.0 भारत सरकार के आदेश के अनुक्रम में भूमिगत टेलीफोन लाईन/आप्टिकल फाईबर केबल/भूमिगत विद्युत केबल के संबंध में आवेदक/आवेदक संस्थाओं को आ रही विभिन्न कठिनाईओं को ध्यान में रखते हुये प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्यालय, छत्तीसगढ़ से क्षेत्रीय वन मंडलाधिकारियों को वन भूमि पर राईट ऑफ वे के अंतर्गत प्रकरणों में भूमिगत टेलीफोन लाईन/आप्टिकल फाईबर केबल/भूमिगत विद्युत केबल के भारत शासन, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पत्र क्रमांक/11-9/98-FC, दिनांक 16.10.2000 (संदर्भ-1) के तहत अधिरोपित शर्तों के अधीन स्वीकृति जारी किये जाने के अधिकार दिये जाने का प्रस्ताव संदर्भ पत्र-10 द्वारा प्राप्त हुआ है।

6.0 राज्य शासन द्वारा भूमिगत टेलीफोन लाईन/आप्टिकल फाईबर केबल/भूमिगत विद्युत केबल के संबंध में आवेदक/आवेदक संस्थाओं को आ रही विभिन्न कठिनाईओं को ध्यान में रखते हुये समस्त क्षेत्रीय वन मंडलाधिकारी को वन भूमि पर मार्ग के विद्यमान राईट ऑफ वे के अंतर्गत भूमिगत टेलीफोन लाईन/आप्टिकल फाईबर केबल/भूमिगत विद्युत केबल के वन भूमि व्यपर्वतन के प्रकरणों में स्वीकृति जारी करने के अधिकार आगामी आदेश तक निम्न शर्तों तथा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार प्रदाय करता है:-

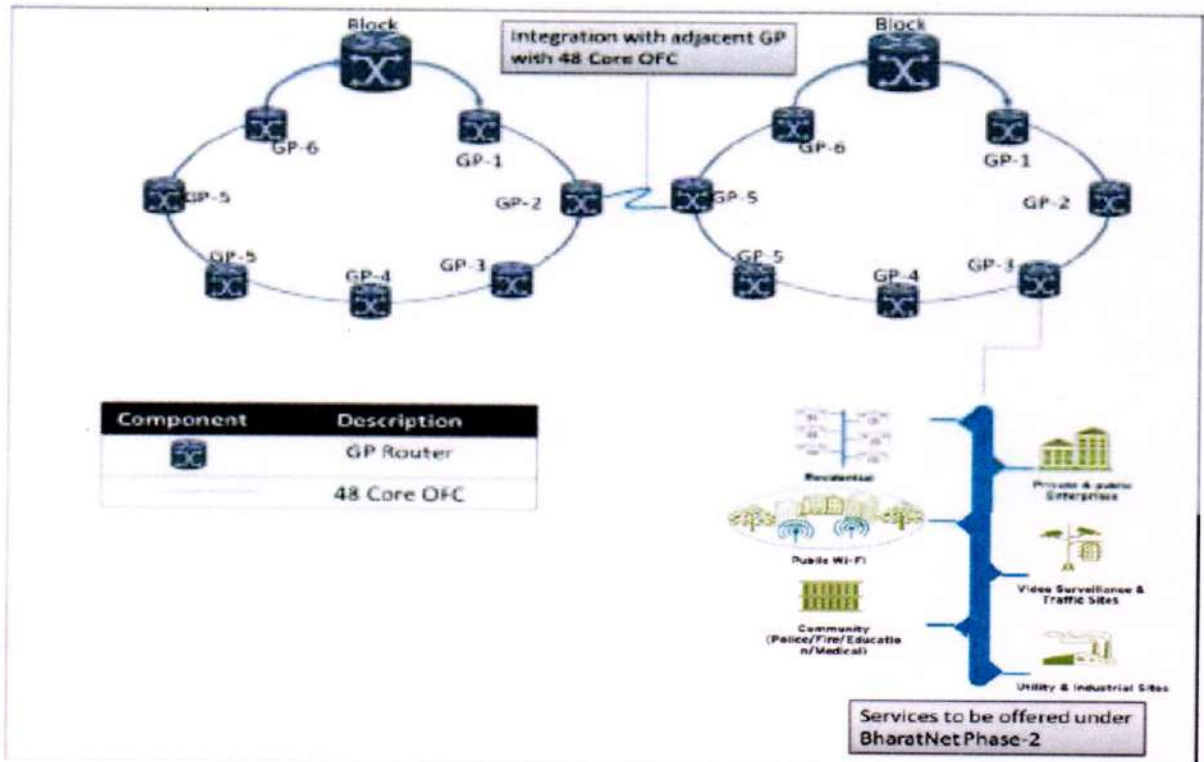
- i) इन निर्देशों के अंतर्गत वन मंडल अधिकारी, राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य की सीमा के बाहर, मार्ग के राईट ऑफ वे के अंतर्गत बिना वृक्षों की कटाई के प्राप्त प्रस्तावों में, निर्धारित साईज (2 मीटर गहराई एवं 1 मीटर चौड़ाई) की खन्ती हेतु अनुमति जारी कर सकते हैं। इसमें क्षेत्रफल की कोई सीमा नहीं है।
- ii) राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्यों के क्षेत्र में यह स्वीकृति जारी नहीं की जाएगी।
- iii) वन भूमि व्यपर्वतन की स्वीकृति केवल वर्तमान में उपलब्ध मार्ग किनारे राईट ऑफ वे के अंतर्गत ही दी जाएगी। राईट ऑफ वे से तात्पर्य मार्ग के किनारे-किनारे मार्ग सीमा के अंदर आने वाले क्षेत्र से है।
- iv) वन भूमि पर भूमिगत आप्टिकल फाईबर केबल/भूमिगत टेलीफोन लाईन/भूमिगत विद्युत केबल बिछाने के लिये खोदी जाने वाली खन्ती का आकार 2 मीटर गहरा तथा 1 मीटर चौड़ा से अधिक नहीं होगा।
- v) अगर प्रस्ताव में वृक्ष का विदोहन सम्मिलित है अथवा भूमिगत टेलीफोन लाईन/आप्टिकल फाईबर केबल/भूमिगत विद्युत केबल मार्ग के राईट ऑफ वे के बाहर है अथवा खन्ती का आकार अधिकतम 2 मी. गहराई एवं 1 मी. चौड़ाई से अधिक है, तो आवेदक द्वारा नियमानुसार वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अंतर्गत पृथक से प्रस्ताव राज्य शासन/भारत शासन से स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करना होगा।
- vi) ऐसे प्रत्येक प्रकरण में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) के द्वारा ऑन लाईन पंजीयन किये जाने के उपरांत ही वन मंडलाधिकारी आवेदन पत्र प्राप्त कर भूमिगत टेलीफोन लाईन/आप्टिकल फाईबर केबल/भूमिगत विद्युत केबल बिछाने की स्वीकृति जारी करेंगे। प्रत्येक प्रकरण में निर्धारित पंजीयन एवं प्रोसेसिंग फीस की वसूली की जाएगी।



- vii) आवेदक/आवेदक संस्थान को स्वीकृति जारी करने के पूर्व वन संरक्षण नियम, 2003 के अंतर्गत निर्धारित प्रारूप में प्रस्ताव प्राप्त करना अनिवार्य होगा। प्रस्ताव में वन अथवा पर्यावरण को हानि पहुंचने की दशा में उसकी क्षतिपूर्ति आवेदक संस्थान द्वारा की जायेगी, इस आशय का वचन पत्र अनिवार्यतः सम्मिलित रहेगा।
- viii) वन भूमि का वैधानिक स्वरूप परिवर्तित नहीं होगा।
- ix) वन भूमि का उपयोग प्रस्तावित कार्य को छोड़कर अन्य किसी कार्य के लिये नहीं किया जाएगा।
- x) कार्य उपरांत रखरखाव की अनुमति वन मंडलाधिकारी द्वारा दी जा सकेगी जिसमें खन्ती की खुदाई के उपरांत समतलीकरण की शर्त शामिल रहेगी।
- ~~xi) समतलीकरण का कार्य आवेदक/आवेदक संस्थान के द्वारा स्वयं के व्यय पर खोदी गई खन्ती से निकाली गई मिट्टी से किया जाएगा।~~
- ~~xii) समतलीकरण के कार्य हेतु यदि मिट्टी/पत्थर की आवश्यकता हो तो वन क्षेत्र में उत्खनन नहीं किया जाएगा।~~
- xiii) माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के पालन में जारी भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र दिनांक 05.02.2009 के अनुसार भूमिगत ऑप्टिकल फाइबर लाइन बिछाने के प्रकरणों में प्रत्याशा मूल्य से पूर्ण छूट का प्रावधान है बशर्ते कोई वृक्ष नहीं कट रहा हो एवं आबंटित वन क्षेत्र राष्ट्रीय उद्यान अथवा अभ्यारण्य का भाग न हो। शेष कार्यों के लिए भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र दिनांक 05.02.2009 के अनुसार प्रत्याशा मूल्य की राशि आवेदक संस्थान से स्वीकृति जारी करने के पूर्व वसूल की जाएगी।
- xiv) खन्ती खोदते समय वृक्षों को हानि नहीं पहुंचाई जाएगी तथा खन्ती में आने वाले वृक्षों की जड़ों को नहीं काटा जाएगा।
- xv) यदि आवेदक/आवेदक संस्थान या उसके ठेकेदार के द्वारा वन या वन भूमि को किसी प्रकार की हानि पहुंचाई जाती है तो वन मंडलाधिकारी द्वारा भारतीय वन अधिनियम, 1927 के प्रावधानों के अंतर्गत दण्डिक कार्यवाही की जाएगी।
- xvi) आवेदक/आवेदक संस्थान से लिखित में वचन-पत्र लिया जाएगा कि यदि भविष्य में भारत सरकार, राज्य शासन, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़, क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक एवं वन मंडलाधिकारी द्वारा अन्य कोई शर्त निर्धारित की जाती है तो वे सभी शर्तें मान्य होगी।
- xvii) आवेदक/आवेदक संस्थान से जिन प्रकरणों में शुद्ध प्रत्याशा मूल्य की राशि ली जानी है उसे अग्रिम में जमा करने के उपरांत ही औपचारिक अनुमति कार्य करने हेतु प्रदान की जाएगी। इस औपचारिक अनुमति के जारी होने के पूर्व प्रारंभ करने की स्वीकृति प्रदान नहीं की जाएगी।
- xviii) भूमिगत-टेलीफोन लाइन/ऑप्टिकल फाइबर केबल/भूमिगत विद्युत केबल के प्रकरणों में राजस्व वन या छोटे बड़े झाड़ का वन या वन जैसा कि सिविल याचिका क्रमांक 202/95 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 12.12.1996 के निर्णय के पालन में परिभाषित है, के संबंध में आवश्यक जानकारी आवेदक/आवेदक संस्थान द्वारा अपने प्रस्ताव में सम्मिलित कर प्रस्तुत किया जावेगा। यदि छोटे बड़े झाड़ का जंगल या "Identified Forest" मद की भूमि प्रस्ताव में आ रही है तो उसको भी सम्मिलित कर एकजाई प्रस्ताव प्राप्त किये जाये, अर्थात् यह सुनिश्चित किया जावे कि वन भूमि उपयोग का पूर्ण प्रत्यावर्तन प्रस्ताव उपयोगकर्ता संस्थान द्वारा तैयार कर प्रस्तुत किया जावे तथा प्रस्ताव का परीक्षण करने के उपरांत आदेश जारी किया जावे। एक ही भूमि के उपयोग के प्रस्ताव की स्वीकृति टुकड़ों में जारी नहीं होनी चाहिए। राजस्व वन क्षेत्र के लिए प्रस्ताव में कलेक्टर की अनापत्ति लगाना अनिवार्य होगा।

प्रोजेक्ट पर विस्तृत टीप

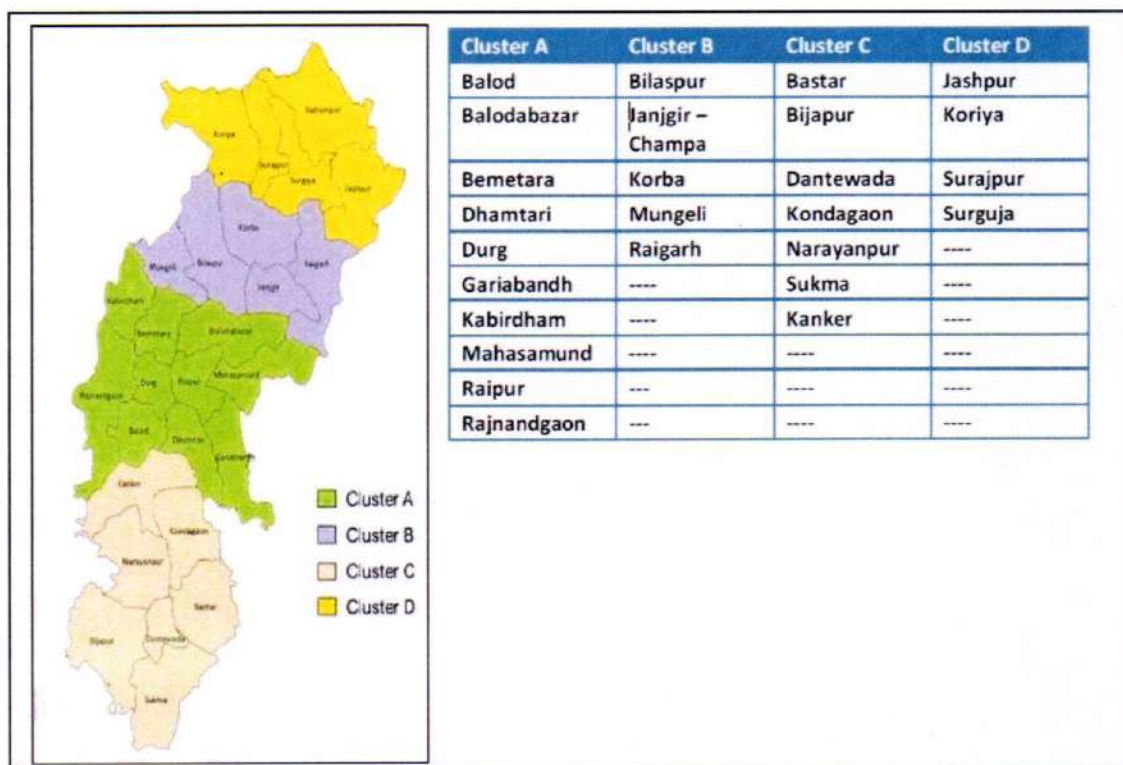
भारतनेट, जिसे भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड के रूप में भी जाना जाता है एक दूरसंचार अवसंरचना प्रदाता है, जिसे भारत सरकार के दूरसंचार विभाग द्वारा संचालन किया जाता है। भारत में दूरसंचार को बेहतर बनाने और डिजिटल इंडिया के अभियान लक्ष्य तक पहुंचने के लिए लगभग 625,000 गांवों को 250,000 ग्राम पंचायतों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान किया जा रहा है। भारतनेट दुनिया का सबसे बड़ा ग्रामीण ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी कार्यक्रम है। यह मेक इन इंडिया पहल के तहत बनाया गया है जिसमें विदेशी कंपनियों की भागीदारी नहीं है।



1 नवंबर 2001 को गठित छत्तीसगढ़ भारत का 29 वां राज्य है, जो 135,194 वर्ग किमी के क्षेत्रफल फैला हुआ है। यह क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का 10 वां सबसे बड़ा राज्य है और लगभग 25.541 मिलियन, छत्तीसगढ़ की आबादी है जो देश में 17 वां सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है। भारत का 12% वन छत्तीसगढ़ में हैं और राज्य की 44% भूमि वनों के अंतर्गत है। हरित राज्य छत्तीसगढ़ में भारत के सबसे घने जंगल हैं, समृद्ध वन्यजीव हैं, सबसे अमीर जैव विविधता में से एक के रूप में इसकी पहचान है। छत्तीसगढ़ का एक तिहाई जनसंख्या जनजातियों की है, ज्यादातर उत्तर और दक्षिण में घने जंगलों वाले इलाकों में है। छत्तीसगढ़ राज्य में इस परियोजना के तहत छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा ब्लॉक मुख्यालय से एक ऑप्टिकल

फाइबर केबल नेटवर्क स्थापित किया जायेगा जिसके अंतर्गतराज्य में 85 ब्लॉक, 5987 ग्राम पंचायतों जोड़कर उच्च गति ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी।

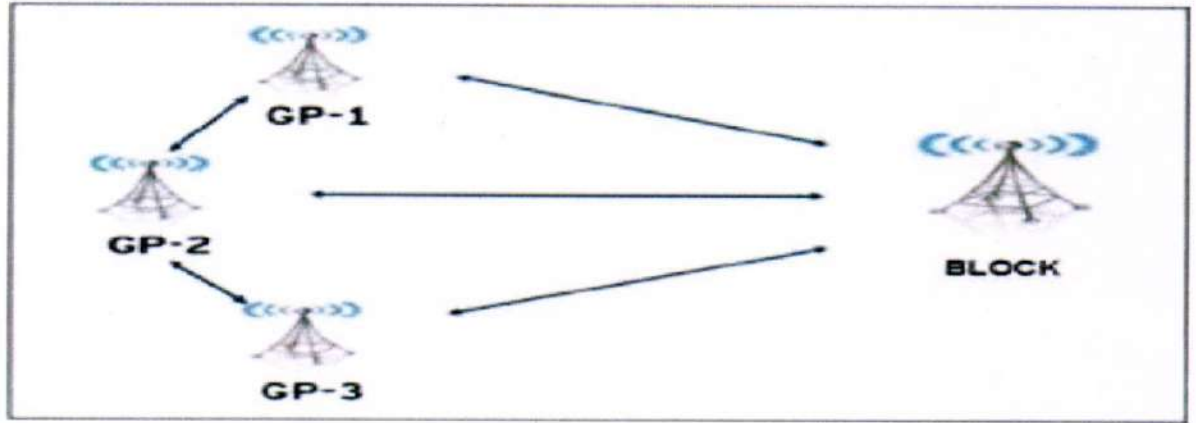
परियोजना को क्लस्टर दृष्टिकोण में लागू किया जाएगा जिसमें राज्य के समस्त जिले समावेशित किया जायेगा। जिसका विवरण इसप्रकार है।



छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी(CHiPS), छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रवर्तित एक पंजीकृत सोसायटी है जो भारतनेट परियोजना के लिए नोडल एजेंसी और प्रमुख प्रस्तावक है। जिसकी जिम्मेदारी परियोजना के क्रियान्वयन की रणनीति तैयार करना, परियोजना का निष्पादन करना, परियोजना की मोनिटरिंग करना तथा परियोजना के सम्बन्ध में कार्यकारी निर्णय लेना होगा।

छत्तीसगढ़ राज्य में इस परियोजना के तहत छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी(CHiPS) द्वारा ब्लॉक मुख्यालय से एक ऑप्टिकल फाइबर केबल नेटवर्क स्थापित किया जायेगा जिसके अंतर्गतराज्य में 85 ब्लॉक, 5987 ग्राम पंचायतों जोड़कर उच्च गति ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी।

Point of Presence	Quantity	Prerequisites
Block PoPs	85	The space for the PoPs at Block level shall be provided at SWAN PoP at BHQ, wherein CHiPS shall provide the necessary air-conditioning, raw power and backup for the Active Network components
GP PoPs	5,987	The Space for the GP PoP shall be provided by CHiPS at the Panchayat Bhawan. The MSI shall provide the necessary infrastructure for Fibre management system, rack/s, redundant power supply, networking equipment and proper earthing At places where space is not available at Panchayat Bhawan, the MSI shall coordinate with CHiPS representative to seek clarity for the alternate location of the PoP



छत्तीसगढ़ इंफोटेक प्रमोशन सोसायटी(CHiPS)द्वारा रायपुर के द्वारा छत्तीसगढ़ के समस्त जिलों के ग्राम पंचायतों को दूरसंचार की आधुनिक सुविधाओं से जोड़ने एवं डिजीटलीकृत करने हेतु 'मेसर्स टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड' को "कार्यान्वयन सहभागी" नियुक्त किया गया है। छत्तीसगढ़ शासन इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर द्वारा छत्तीसगढ़ के 85 ब्लॉकों के अन्तर्गत 5,987 ग्राम पंचायतों को शामिल करते हुए कुल 32,000 कि.मी. मार्ग में ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु कार्य सम्पादन की निःशुल्क मौजूदा मौजूदा राईट-ऑफ-वे की अनुमति प्रदान की गई है ।


 संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी
 छत्तीसगढ़ इंफोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स)
 रायपुर छत्तीसगढ़



न्यूनतम वन क्षेत्र उपयोगिता प्रमाण पत्र

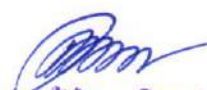
भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना "भारतनेट प्रोजेक्ट फेस - II" के अन्तर्गत संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स), रायपुर, छत्तीसगढ़ द्वारा रायगढ़ जिला के धरमजयगढ़ वनमण्डल क्षेत्रांतर्गत धरमजयगढ़ एवं लैलूगा ब्लॉक के अधीनस्थ ग्राम पंचायतों को ब्लॉक मुख्यालय से जोड़ने वाले मार्गों के मौजूदा राईट-ऑफ-वे में ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने बाबत समस्त पहलुओं की जाँच किया गया है किन्तु अन्य कोई विकल्प वनभूमि के न्यूनतम उपयोग एवं तकनीकी दृष्टिकोण से उपयुक्त नहीं पाया गया है।

प्रस्तावित वन क्षेत्र के अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प नहीं हैं। इस संबंध में की जा रही वन भूमि की मांग आवश्यक एवं न्यूनतम हैं।


संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी
छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स)
रायपुर छत्तीसगढ़


वनमण्डलाधिकारी,
धरमजयगढ़ वनमण्डल,
जिला - रायगढ़, (छत्तीसगढ़)




वन परिक्षेत्र अधिकारी
लैलूगा


वन परिक्षेत्र अधिकारी
परिक्षेत्र बोरो


वन परिक्षेत्र अधिकारी
कापूर (रा.)


वन परिक्षेत्राधिकारी
धरमजयगढ़


वन परिक्षेत्राधिकारी
छाल परिक्षेत्र
वनमण्डल, धरमजयगढ़


उप वनमण्डल अधिकारी
लैलूगा उपवनमण्डल


उपवन मण्डलाधिकारी
धरमजयगढ़, उपवन मण्डल

अधिनियम उल्लंघन अंतर्गत कार्यो/जिम्मेदारों अधिकारियों एवं कर्मचारियों का विवरण एवं उनके विरुद्ध की गयी कार्यवाही

भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना "भारतनेट प्रोजेक्ट फेस -II" के अन्तर्गत संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स), रायपुर, छत्तीसगढ़ द्वारा रायगढ़ जिला के धरमजयगढ़ वनमण्डल क्षेत्रांतर्गत धरमजयगढ़ एवं लैलूगा ब्लॉक के अधीनस्थ ग्राम पंचायतों को ब्लॉक मुख्यालय से जोड़ने वाले मार्गों के मौजूदा राईट-ऑफ-वे में ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने कार्य हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन नहीं किया गया है।

अतः इस प्रस्ताव के अंतर्गत किसी प्रकार के अधिनियम उल्लंघन के लिए अधिकारियों एवं कर्मचारियों का विवरण निरंक है एवं उनके विरुद्ध किसी प्रकार के अधिनियम उल्लंघन की गयी कार्यवाही प्रस्तावित नहीं है।

संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी
छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स)
रायपुर छत्तीसगढ़



वनमण्डलाधिकारी,
धरमजयगढ़ वनमण्डल,
जिला -रायगढ़, (छत्तीसगढ़)

उप वनमण्डलाधिकारी
लैलूगा उपवनमण्डल

उप. वनमण्डलाधिकारी
लैलूगा,
जिला -रायगढ़, (छत्तीसगढ़).

उप. वनमण्डलाधिकारी
धरमजयगढ़,
जिला -रायगढ़, (छत्तीसगढ़).

वन परिक्षेत्र अधिकारी
लैलूगा

वन परिक्षेत्राधिकारी
छाल परिक्षेत्र
वनमण्डल, धरमजयगढ़

वन परिक्षेत्र अधिकारी
परिक्षेत्र बोरो

वन परिक्षेत्र अधिकारी
काम्बू(सा.)

वन परिक्षेत्राधिकारी
धरमजयगढ़

अधिनियम वन अधिकारियों का निरीक्षण प्रतिवेदन (प्रपत्र I से IV तक)

भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना "भारतनेट प्रोजेक्ट फेस -II" के अन्तर्गत संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स), रायपुर, छत्तीसगढ़ द्वारा रायगढ़ जिला के धरमजयगढ़ वनमण्डल क्षेत्रांतर्गत धरमजयगढ़ एवं लैलूगा ब्लॉक के अधीनस्थ ग्राम पंचायतों को ब्लॉक मुख्यालय से जोड़ने वाले मार्गों के मौजूदा राईट-ऑफ-वे के अन्तर्गत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु प्रभावित वनभूमि 16.922 हे. एवं 0.407 हे. राजस्व वनभूमि, कुल वनभूमि रकबा 17.329 हे. वनभूमि का निरीक्षण प्रतिवेदन संलग्न है।


वनमण्डलाधिकारी,
धरमजयगढ़ वनमण्डल,
जिला -रायगढ़, (छत्तीसगढ़).

वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव

(भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)

भाग-1

(प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भरे जाने के लिये)

1 परियोजना विवरण :-

i. अपेक्षित वनभूमि के लिये प्रस्ताव/परियोजना/स्कीम का संक्षिप्त विवरण।

भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना "भारतनेट प्रोजेक्ट फेस - II" के अन्तर्गत संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स), रायपुर, छत्तीसगढ़ द्वारा रायगढ़ जिला के धरमजयगढ़ वनमण्डल क्षेत्रांतर्गत धरमजयगढ़ एवं लैलूगा ब्लॉक के अधीनस्थ ग्राम पंचायतों को ब्लॉक मुख्यालय से जोड़ने वाले मार्गों के मौजूदा राईट-ऑफ-वे के अन्तर्गत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु प्रभावित 16.922 हे. वनभूमि एवं 0.407 हे. राजस्व वनभूमि, कुल वनभूमि रकबा 17.329 हे. वनभूमि की आवश्यकता है। उपरोक्त केबल रूट की 0.50 मीटर चौड़ाई पर 1.65 मीटर की गहराई पर भूमिगत केबल बिछाने का कार्य किया जाना है।

ii. 1:50,000 स्केल मैप पर वन भूमि और उसके आसपास के वनों की सीमाओं को दर्शाने वाला मैप।

संलग्न है।

iii. परियोजना की लागत।

54 करोड़ 33 लाख

iv. वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य।

रायगढ़ जिला के धरमजयगढ़ वनमण्डल क्षेत्रांतर्गत धरमजयगढ़ एवं लैलूगा ब्लॉक के अधीनस्थ ग्राम पंचायतों को ब्लॉक मुख्यालय से जोड़नेसे समस्त ग्राम पंचायत डिजिटलीकृत हो जायेंगे जिससे ग्राम वासियों के पंचायत सम्बंधित कार्य त्वरित गति से तथा सुचारु रूप से सम्पादित होंगे।

v. लागत लाभ विश्लेषण (संलग्न किये जाने के लिये)

आवश्यकता नहीं है।

vi. रोजगार जिनके पैदा होने की संभावना है।

आवश्यकता अनुसार।

- 2 कुल अपेक्षित भूमि उद्देश्यवार विवरण।
धरमजयगढ़ वनमंडल -17.329 हैं.
आरक्षित वन -7.171 हैं.
संरक्षित वन -9.751 हैं.
राजस्व वन -0.407 हैं.
- 3 परियोजना के कारण लोगों को हटाने का विवरण, यदि कोई है।
निरंक
- i. परिवार की संख्या।
निरंक
- ii. अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों की संख्या।
निरंक
- iii. पुनर्वास योजना (संलग्न किये जाने के लिये)
निरंक
- 4 क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के अंतर्गत मंजूरी आवश्यक है ? (हां/नहीं)
नहीं है।
- 5 प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण और/या दण्डस्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण की वचनबद्धता (वचनबद्धता संलग्न की जाये)
आवश्यकता नहीं है।
- 6 निर्देशों के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों का ब्यौरा।
चेकलिस्ट अनुसार सभी दस्तावेज संलग्न हैं।


संयुक्तमुख्य कार्यपालन अधिकारी
छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स)
रायपुर छत्तीसगढ़



वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव

(भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)

भाग - 2

(संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या

1.	परियोजना /स्कीम का स्थान	"भारतनेट प्रोजेक्ट फेस - II" धरमजयगढ़ वनमंडल।
(i)	राज्य/ संघ शासित क्षेत्र	छत्तीसगढ़
(ii)	जिला	रायगढ़
(iii)	वन प्रभाग	धरमजयगढ़
(iv)	वनेत्तर प्रयोग के लिये प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्रा (हेक्टेयर)	17.329 (हेक्टेयर)
(v)	वन कानूनी स्थिति	आरक्षित वन, संरक्षित वन, एवं राजस्व वनभूमि
(vi)	हरियाली का घनत्व	
(vii)	प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाये) सिचाई/जलीय परियोजनाओं के संबंध में एफ.आर.एल.,एफ. एफ. आर. एल.-2 मी. पर परिगणना और एफ. आर.एल. 4 मी. भी संलग्न किये जाये।	आवश्यकता नहीं है।
(viii)	भूक्षरण के लिये वनक्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी।	मृदा क्षरण की संभावना नहीं है अतः उक्त भूमि परियोजना हेतु दिया जा सकता है।
(ix)	वनेत्तर प्रयोग के लिये प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी।	प्रस्तावित योजना में 4जी ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने वन क्षेत्र से होकर गुजरती है।
(x)	क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण, जैवमंडल रिजर्व, बाघ रिजर्व हाथी, कोरीडोर, आदि का भाग है। (यदि हां, क्षेत्रा का ब्यौरा और प्रमुख वन्यजीव वार्डन की टिप्पणियां अनुबंधित की जाये)	नहीं हैं।
(xi)	क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्रणिजात की दुर्लभ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियां पाई जाती है यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा दें।	नहीं हैं।उप वनमण्डलाधिकारी का प्रतिवेदन संलग्न है।
(xii)	क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्रा में स्थित है। यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो दें।	नहीं हैं। उप वनमण्डलाधिकारी का प्रतिवेदन संलग्न है।

2.	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भाग -1 कालम 2 में प्रस्तावित वनभूमि की आवश्यकता परियोजना के लिये अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नहीं तो, जांचे गये विकल्पों के ब्यौरों सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो, दे।	प्रयोक्त एजेंसी द्वारा भाग - 1 कॉलम 2 में प्रस्तावित वन भूमि की माँग न्यूनतम एवं आवश्यक हैं।
3.	क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है। (हां/नहीं) यदि हां तो कार्य की अवधि दोषी अधिकारियों पर की गई कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दें, क्या उल्लंघन संबंधी कार्य अभी चल रहे हैं।	नहीं हैं। उपवनमण्डलाधिकारी का प्रतिवेदन संलग्न है।
4.	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा	
	(i) प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवक्रमित वनक्षेत्र आसपास के वन से इसकी दूरी, भू-खण्डों की संख्या प्रत्येक भू-खण्ड का आकार	आवश्यकता नहीं है।
	(ii) प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित वनेत्तर /अवक्रमित वनक्षेत्र और आस पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप	आवश्यकता नहीं है।
	(iii) रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यन्वयन एजेंसी समय अनुसूची लागत ढाँचा आदि	आवश्यकता नहीं है।
	(iv) प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिये कुल वित्तीय परिव्यय	आवश्यकता नहीं है।
	(v) प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबंधकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्र (संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षर किया जाये)	आवश्यकता नहीं है।
5.	जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपयुक्त कालम 7, गपए गपपद्धए 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुये (संलग्न करें)	आवश्यकता नहीं है।
6.	विभाग/जिला प्रोफाईल	
	(i) जिले का भौगोलिक क्षेत्र	6527.440 वर्ग किलो मीटर
	(ii) जिले के धरमजयगढ़ वनमण्डल का वन क्षेत्र	आरक्षित वन- 768.571 वर्ग कि.मी. संरक्षित वन- 286.872 वर्ग कि.मी. असीमांकित वन- 657.976 वर्ग कि.मी. कुल वनक्षेत्र- 1713.419 वर्ग कि.मी.

	(iii) मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र	प्रकरण 06 हेक्टर 367.736
	(iv) 1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक: (क) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि। (ख) वनेत्तर भूमि पर	50.00 हेक्टर निरंक
	(v) वर्ष 2015-2016 तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति : (क) वन भूमि। (ख) वनेत्तर भूमि पर।	587.00 हेक्टर निरंक
7.	प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव अन्यथा लेने के संबंध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश।	रायगढ़ जिला के धरमजयगढ़ वनमण्डल क्षेत्रांतर्गत धरमजयगढ़ एवं लैलूगा ब्लॉक के अधीनस्थ ग्राम पंचायतों को ब्लॉक मुख्यालय से जोड़ने से समस्त ग्राम पंचायत डिजिटलीकृत हो जायेंगे जिससे ग्रामवासियों के पंचायत सम्बंधित कार्य त्वरित गति से तथा सुचारु रूप से सम्पादित होंगे। भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना "भारतनेट प्रोजेक्ट फेस-2" के अन्तर्गत छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स), रायपुर, छत्तीसगढ़ द्वारा पश्चिम भानुप्रतापपुर वनमण्डल क्षेत्रांतर्गत अन्तर्गत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु प्रभावित वनभूमि रकबा 17.329 हे. के व्यपवर्तन हेतु अनुशंसा की जाती है।

दिनांक :- 28/1/21
स्थान :- धरमजयगढ़


 वनमण्डलाधिकारी,
 धरमजयगढ़ वनमण्डल,
 जिला - रायगढ़, (छत्तीसगढ़).

भाग III
(संबंधित मुख्य वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

- 1 स्थल जहाँ की वन भूमि शामिल है क्या :-
इसका संबंधित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है (हाँ/नहीं) यदि हाँ तो निरीक्षण की तारीख और किये गये प्रक्षेपों को, निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें ।
- 2 क्या संबंधित वन संरक्षक भाग ख में दी :-
गई सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत हैं ।
- 3 प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में :-
संबंधित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें ।

तिथि :-

स्थान :- बलासपुर (छत्तीसगढ़)

मुख्य वन संरक्षक
बलासपुर वन वृत्त, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

भाग -IV

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिये)

- 1 टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव को स्वीकार :-
करने या अन्यथा के लिये राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें।

(राय देते समय, संबंधित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणियों की सुस्पष्ट समीक्षा की जाये और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाये।)

तिथि :-

स्थान :- नया रायपुर (छत्तीसगढ़)

अपर प्रधान मुख्य संरक्षक एवं
नोडल अधिकारी
(भू-प्रबंध/व.स.अ.)
नया रायपुर (छत्तीसगढ़)

प्रपत्र-3

वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत प्रेषित किये जाने वाले प्रस्ताव पर
वन संरक्षक/व.म.अ. का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन

1.	परियोजना का नाम	भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना "भारतनेट प्रोजेक्ट फेस - II" के अन्तर्गत रायगढ़ जिला के धरमजयगढ़ वनमण्डल क्षेत्रांतर्गत धरमजयगढ़ एवं लैलूगा ब्लॉक के अधीनस्थ ग्राम पंचायतों को ब्लॉक मुख्यालय से जोड़ने वाले मार्गों के मौजूदा राईट-ऑफ-वे के अन्तर्गत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने कार्य हेतु।		
2.	आवेदक/आवेदक विभाग का नाम	संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स), रायपुर, छत्तीसगढ़।		
3.	गैर वानिकी कार्य जिस हेतु वनभूमि की मांग	17.329 हेक्टेयर		
4.	आवेदित क्षेत्र की स्थिति	जिला	वनमंडल	परियोजना स्थल
		रायगढ़	धरमजयगढ़	धरमजयगढ़ एवं लैलूगा ब्लॉक के अधीनस्थ ग्राम पंचायत।
5.	वनभूमि का विस्तृत विवरण			
	क. आरक्षित वन	परिक्षेत्र का नाम	वनखंड का नाम	कक्ष क्र. क्षेत्रफल हे. में
		बाकारुमा	साजापाली	88 0.001
		बाकारुमा	साजापाली	89 0.687
		बाकारुमा	साजापाली	92 0.271
		बाकारुमा	ढोढ़ागांव	105 0.031
		बाकारुमा	सोखामुडा एवं राजकोट	113 0.035
		बाकारुमा	डोकरीपहोरी	129 0.094
		बाकारुमा	तेजपुर	131 0.048
		बाकारुमा	सोहनपुर	139 0.052
		बाकारुमा	जामाबीरा	144 0.137
		बाकारुमा	दाहीडांड	159 0.217
		बोरो	जबगा	597 0.046
		बोरो	जमरगी	598 0.103
		बोरो	जलडेगा	641 0.046
		बोरो	जलडेगा	658 0.061

	बोरो	जलडेगा	659	0.050
	बोरो	जलडेगा	656	0.022
	बोरो	जलडेगा	657	0.044
	बोरो	जलडेगा	648	0.129
	छाल	ऐडु	477	0.146
	छाल	धूमरपहरी	497	0.116
	छाल	धूमापहाड़ी	493	0.032
	छाल	बेहरामार	573	0.036
	छाल	बेहरामार	574	0.045
	छाल	कुड़केला	535	0.022
	छाल	पचपेड़ी	532	0.065
	छाल	पुरुंगा	565	0.034
	छाल	पुरुंगा	564	0.056
	छाल	चौनपुर	589	0.070
	छाल	गड़ाईन बहरी बोजिया	517	0.022
	छाल	गड़ाईन बहरी बोजिया	515	0.114
	छाल	गड़ाईन बहरी बोजिया	516	0.008
	छाल	गड़ाईन बहरी बोजिया	510	0.053
	धरमजयगढ़	सेमीपाली	360	0.114
	धरमजयगढ़	शेरबंद बीजापतरा	368	0.233
	धरमजयगढ़	शेरबंद बीजापतरा	371	0.197
	धरमजयगढ़	दाहीडाड़	388	0.257
	धरमजयगढ़	दाहीडाड़	389	0.364
	धरमजयगढ़	सिसरिंगा	390	0.030
	धरमजयगढ़	सिसरिंगा	391	0.016
	धरमजयगढ़	फतेहपुर – ए	459	0.079
	धरमजयगढ़	चौनपुर	441	0.053

	धरमजयगढ़	जबगा	475	0.160
	कापू	कुमरता	42	0.160
	कापू	कुमरता	33	0.148
	कापू	कुमरता	34	0.017
	कापू	कुमरता	35	0.150
	कापू	तालगांव	56	0.071
	कापू	तालगांव	55	0.022
	कापू	जगालमौहा	80	0.011
	लैलूगा	डंगबीरा	177	0.081
	लैलूगा	डंगबीरा	178	0.073
	लैलूगा	डंगबीरा	179	0.103
	लैलूगा	डंगबीरा	180	0.008
	लैलूगा	डंगबीरा	181	0.099
	लैलूगा	डंगबीरा	183	0.119
	लैलूगा	डंगबीरा	186	0.081
	लैलूगा	डंगबीरा	187	0.180
	लैलूगा	डंगबीरा	188	0.051
	लैलूगा	डंगबीरा	189	0.004
	लैलूगा	बांसडांड	211	0.014
	लैलूगा	ढाप	213	0.057
	लैलूगा	नाग	223	0.101
	लैलूगा	नाग	224	0.038
	लैलूगा	नाग	225	0.094
	लैलूगा	नाग	226	0.054
	लैलूगा	नाग	228	0.009
	लैलूगा	चितईघुटरी	250	0.080
	लैलूगा	धनाइघुटरी	255	0.088
	लैलूगा	डांडपानी	280	0.067
	लैलूगा	गितधरा	286	0.136
	लैलूगा	तोलगे प.	291	0.083
	लैलूगा	तोलगे प.	294	0.063

		लैलूगा	तोलगे प.	315	0.177
		लैलूगा	तोलगे प.	316	0.070
		लैलूगा	तोलगे प.	319	0.118
		लैलूगा	तोलगे प.	320	0.058
		लैलूगा	तोलगे पू	347	0.090
		योग			7.171
ख. संरक्षित वन		परिक्षेत्र का नाम	वनखंड का नाम	कक्ष क्र.	क्षेत्रफल हे. में
		बाकारुमा	साजापाली	93P	0.232
		बाकारुमा	ससकोबा	100P	0.096
		बाकारुमा	रैरुमा पूर्व	101P	0.061
		बाकारुमा	रैरुमा	103P	0.053
		बाकारुमा	झिरकी	104P	0.052
		बाकारुमा	सेमरकोना	108P	0.021
		बाकारुमा	अमलझारिया	123P	0.062
		बाकारुमा	ढोढी	128P	0.057
		बाकारुमा	सोहनपुर	130P	0.626
		बाकारुमा	जामाबीरा	147P	0.050
		बाकारुमा	सिसरिंगा	148P	0.245
		बाकारुमा	सिसरिंगा	149P	0.078
		बाकारुमा	पुलैन्त	150P	0.170
		बोरो	जमरगी	599P	0.050
		बोरो	जमरगी	600P	0.063
		बोरो	जबगा	604P	0.070
		बोरो	जबगा	606P	0.082
		बोरो	भौना	608P	0.124
		बोरो	बोरो	609P	0.118
		बोरो	बोरो	610P	0.007
		बोरो	पीपरकोना	612P	0.037
		बोरो	नेवार	617P	0.077
		बोरो	सुनडेसा	618P	0.026

		बोरो	कमाईपहाड़	629P	0.047
		बोरो	कमाईपहाड़	630P	0.123
		बोरो	डोमापहाड़	633P	0.020
		बोरो	बेलरनी	640P	0.108
		छाल	लात	478P	0.074
		छाल	लोटान	484P	0.012
		छाल	धूमापहाड़ी	492P	0.014
		छाल	बड़ेदरहा	495P	0.047
		छाल	बोजिया प.	503P	0.032
		छाल	बोजिया	504P	0.098
		छाल	रिलो	507P	0.158
		छाल	तरेकेला	509P	0.054
		छाल	बनहर	525P	0.232
		छाल	खरखर	528P	0.025
		छाल	खरनाला	529P	0.051
		छाल	गलीमार	530P	0.043
		छाल	सोलीहारी	538P	0.186
		छाल	सोलीहारी	539P	0.105
		छाल	मुनुंद	540P	0.059
		छाल	गुरामहुआ	547P	0.043
		छाल	जामजुनवानी	548P	0.056
		छाल	लोफट आउट	552P	0.062
		छाल	लोफट आउट	553P	0.023
		छाल	जामझरिया	554P	0.086
		छाल	टेढ़ीआमा	559P	0.035
		छाल	सांभरलोटन	566P	0.015
		छाल	रजमार	590P	0.072
		छाल	रजमार	591P	0.156
		छाल	सरिया	592P	0.050
		धरमजयगढ़	लक्ष्मीपुर	353P	0.013
		धरमजयगढ़	कदममुड़ा	354P	0.053

	धरमजयगढ़	पतरापारा	362P	0.237
	धरमजयगढ़	तेंदूमार प.	363P	0.093
	धरमजयगढ़	मेढरमार	364P	0.041
	धरमजयगढ़	शेरबंद बीजापतरा	365P	0.085
	धरमजयगढ़	करमापथरा	375P	0.206
	धरमजयगढ़	बगधरी	378P	0.049
	धरमजयगढ़	रनाई	379P	0.043
	धरमजयगढ़	उंचमुड़ी	380P	0.144
	धरमजयगढ़	तेंदूमार उत्तर	383P	0.133
	धरमजयगढ़	तेंदूमार उत्तर	384P	0.292
	धरमजयगढ़	कुधरी	415P	0.073
	धरमजयगढ़	मालूमूड़ा	421P	0.082
	धरमजयगढ़	बनबहरि	422P	0.045
	धरमजयगढ़	सूखीतराई	440P	0.030
	धरमजयगढ़	बरतापाली	447P	0.060
	धरमजयगढ़	पबासी	458P	0.117
	धरमजयगढ़	करमगढ़ी	466P	0.041
	धरमजयगढ़	पण्डरीपानी	467P	0.075
	धरमजयगढ़	पोड़ाडाही	469P	0.085
	धरमजयगढ़	उदउदा	470P	0.088
	धरमजयगढ़	लालमाटी	476P	0.285
	कापू	इंचपारा	39P	0.068
	कापू	कुमरता प.	43P	0.021
	कापू	कुमरता प.	44P	0.014
	कापू	कुमरता पूर्व	47P	0.089
	कापू	गोलाबुड़ा	53P	0.022
	कापू	मांड	57P	0.009
	लैलूगा	आमापाली	194P	0.166
	लैलूगा	बरहाटोंगरी	201P	0.031
	लैलूगा	रंगाझरिया	203P	0.012
	लैलूगा	नवापारा	204P	0.017

	लैलूगा	घियारमुंडा	208P	0.043
	लैलूगा	खम्हार	209P	0.042
	लैलूगा	लैलूगा	210P	0.135
	लैलूगा	गहनाझरिया	216P	0.040
	लैलूगा	पोतरा	221P	0.044
	लैलूगा	बरतुड़ा	237P	0.011
	लैलूगा	बम्हनीमुड़ा	238P	0.041
	लैलूगा	पण्डरीपानी पश्चिम	239P	0.040
	लैलूगा	पण्डरीपानी पूर्व	240P	0.015
	लैलूगा	चिदाकंचा	241P	0.022
	लैलूगा	चिटकोना	242P	0.056
	लैलूगा	चितईघुटरी	251P	0.036
	लैलूगा	खरालुंगरा	257P	0.057
	लैलूगा	मुकडेगा द.	259P	0.030
	लैलूगा	कटकलिया द.	260P	0.023
	लैलूगा	खार	263P	0.059
	लैलूगा	केसला	264P	0.030
	लैलूगा	डेंगूदहरा	265P	0.054
	लैलूगा	डेरुमा	266P	0.009
	लैलूगा	रुनियाखार	267P	0.008
	लैलूगा	कुंडकेल	268P	0.034
	लैलूगा	भुलसीपहारी	271P	0.012
	लैलूगा	कराडेगा	279P	0.049
	लैलूगा	कोटरीखोल	290P	0.330
	लैलूगा	डोंगरभौना	300P	0.223
	लैलूगा	नवाडीहा	301P	0.016
	लैलूगा	बेन्दराखोल	302P	0.038
	लैलूगा	गहिरा पूर्व	307P	0.068
	लैलूगा	नहरकेला	309P	0.034
	लैलूगा	टटकेला	310P	0.066
	लैलूगा	तोलगे पू	328P	0.018

		लैलूगा	गेरुपानी	329P	0.185
		लैलूगा	लमडांड	330P	0.080
		लैलूगा	एकरा	335P	0.018
		लैलूगा	तोलगे उ.	336P	0.254
		लैलूगा	पोटेविरनी	339P	0.051
		लैलूगा	केनापारा	349P	0.083
		लैलूगा	लारीपानी	352P	0.035
		योग			9.751
ग. राजस्व वन क्षेत्र		तहसील का नाम	ग्राम का नाम	खसरा क्र.	क्षेत्रफल हे. में
		धरमजयगढ़	आमगांव	152/1/ढ़/1	0.021
		धरमजयगढ़	बोरो	280/11	0.036
		धरमजयगढ़	बोरो	272/1	0.002
		धरमजयगढ़	बोरो	349/1/क/1	0.014
		धरमजयगढ़	बोरो	46/1	0.002
		धरमजयगढ़	बोरो	41/1क	0.005
		धरमजयगढ़	बोरो	73/1	0.001
		धरमजयगढ़	बोरो	75/1	0.006
		धरमजयगढ़	जबगा	182/1क	0.006
		धरमजयगढ़	जबगा	242/1	0.026
		धरमजयगढ़	जमरगीडी	448/1	0.001
		धरमजयगढ़	जबगा	104/1	0.013
		धरमजयगढ़	कुमा	66	0.002
		धरमजयगढ़	कुमा	231	0.001
		धरमजयगढ़	पखनाकोट	502/1	0.025
		धरमजयगढ़	रिलो	110/1 क/1	0.018
		धरमजयगढ़	रिलो	295/1 क	0.007
		धरमजयगढ़	ससकोबा	502/18	0.009
		धरमजयगढ़	ससकोबा	382/1क	0.073
		धरमजयगढ़	ससकोबा	505/1क	0.004
		धरमजयगढ़	सिसरिंगा	944/1क	0.013

	धरमजयगढ़	सिसरिंगा	952/1	0.005
	धरमजयगढ़	सिसरिंगा	508/3	0.064
	धरमजयगढ़	सिवार	185/2	0.011
	लैलूगा	गमेकेला	452/5	0.005
	लैलूगा	करवारजोर	220	0.005
	लैलूगा	करवारजोर	224	0.001
	लैलूगा	पाकरगाँव	31/14	0.004
	लैलूगा	पाकरगाँव	31/2	0.003
	लैलूगा	सोनाजोरी	537/1	0.011
	लैलूगा	सोनाजोरी	835/1	0.013
	योग			0.407
कुल योग :-			17.329 हेक्टर	
6.	आवेदित क्षेत्र में वनों की वर्तमान स्थिति प्रकार	आवेदित क्षेत्र में मिश्रित वन है। प्रस्तावित ओ. एफ.सी. लाइन विद्यमान राइट-ऑफ-वे के सीमा में ही किया जाना है।		
7.	आवेदित क्षेत्र में वृक्षों का विवरण	मार्गों के मौजूदा राईट-ऑफ-वे के अन्तर्गत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने कार्य में वृक्ष विदोहन नहीं किया जाना है। वृक्षों के विवरण की आवश्यकता नहीं है।		
8.	आवेदित क्षेत्र में प्राकृतिक पुनरुत्पादन की स्थिति	आवेदित क्षेत्र में प्राकृतिक पुनरुत्पादन की स्थिति सामान्य है।		
9.	आवेदित क्षेत्र की (विशेषकर खनिज प्रकरणों में) मुख्य मार्ग से (पी.डब्लू.डी./वन मार्ग आदि) से दूरी (जिसे स्पष्ट रूप से मानचित्र में भी अंकित करें।)	आवश्यकता नहीं है।		
10.	क्या आवेदित क्षेत्र किसी Ecological Sensitive क्षेत्र (राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण, बायोस्फेयर रिजर्व, प्राकृतिक झील/वाटर, बाड़ी, आदिवासी सैटलमेंट क्षेत्र, धार्मिक) की सीमा के 10 वर्ग कि.मी. के अंतर्गत है अथवा नहीं ? यदि हां, तो संक्षिप्त विवरण प्रतिवेदित करें।	प्रस्तावित क्षेत्र के 10 कि.मी. की परिधि में गोमर्दा अभ्यारण स्थित है तथा अन्य ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह/मूर्ति स्थापित नहीं है।		

11.	आवेदित वनक्षेत्र के अलावा अन्य गैर वनक्षेत्र विकल्प के रूप, में प्रस्तावित गैर वानिकी कार्य हेतु उपलब्ध है अथवा नहीं (विशेष कर खनिज उत्खनन प्रकरणों में आवेदित क्षेत्र के आसपास के 20 वर्ग कि०मी० क्षेत्र में गैर वनक्षेत्र का निरीक्षण कर जिलाध्यक्ष/भारत सरकार/ राज्य सरकार द्वारापूर्व स्वीकृत खदानों की संख्या बतावें एवं उसे मानचित्र पर भी दर्शाया जावें।)	मार्गों के मौजूदा राईट-ऑफ-वे के अन्तर्गत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने का कार्य किया जाना है अतः अन्य कोई विकल्प नहीं है।
12.	आवेदित क्षेत्र में आवेदक द्वारा अधिनियम का उल्लघन किया गया है या नहीं ? यदि हां, तो संक्षिप्त विवरण देंगे।	निरंक

प्रमाण – प्रत्र

उपरोक्त जानकारी/विवरण मेरे द्वारा किये गये भौतिक निरीक्षण के आधार पर है। आवेदक द्वारा मांग की गई वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोजन हेतु अनुशंसा की जाती है।

निरीक्षण स्थल : रायगढ़ जिला के धरमजयगढ़ वनमण्डल क्षेत्रांतर्गत धरमजयगढ़ एवं लैलूगा ब्लॉक जिला –धरमजयगढ़,छत्तीसगढ़.

दिनांक :


 वनमण्डलाधिकारी,
 धरमजयगढ़ वनमण्डल,
 जिला –रायगढ़, (छत्तीसगढ़).

ऐतिहासिक स्थल का प्रमाण पत्र

भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना "भारतनेट प्रोजेक्ट फेस - II" के अन्तर्गत संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स), रायपुर, छत्तीसगढ़ द्वारा रायगढ़ जिला के धरमजयगढ़ वनमण्डल क्षेत्रांतर्गत धरमजयगढ़ एवं लैलूगा ब्लॉक के अधीनस्थ ग्राम पंचायतों को ब्लॉक मुख्यालय से जोड़ने वाले मार्गों के मौजूदा राईट-ऑफ-वे के अन्तर्गत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने में ऐतिहासिक स्थल एवं पुरातात्विक स्थल प्रभावित नहीं हो रहे हैं।

संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी
छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स)
रायपुर छत्तीसगढ़



वनमण्डलाधिकारी,
धरमजयगढ़ वनमण्डल,
जिला -रायगढ़, (छत्तीसगढ़)

उप. वनमण्डलाधिकारी
लैलूगा,
जिला -रायगढ़, (छत्तीसगढ़).

उप. वनमण्डलाधिकारी
धरमजयगढ़,
जिला -रायगढ़, (छत्तीसगढ़).

वन परिक्षेत्र अधिकारी
लैलूगा

वन परिक्षेत्र अधिकारी
परिक्षेत्र बोरो
वन परिक्षेत्राधिकारी
छाल परिक्षेत्र
वनमण्डल, धरमजयगढ़

वन परिक्षेत्र अधिकारी
कापू(सा.)

वन परिक्षेत्राधिकारी
धरमजयगढ़

संबंधित ग्राम पंचायत का अनापत्ति पत्र

“भारतनेट प्रोजेक्ट फेस - II” के तहत संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी (चिप्स), रायपुर के माध्यम से छत्तीसगढ़ के समस्त जिलों के ग्राम पंचायतों को दूरसंचार की आधुनिक सुविधाओं से जोड़ने एवं डिजीटलीकृत करने हेतु छत्तीसगढ़ शासन इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर द्वारा छत्तीसगढ़ के 85 ब्लॉकों के अन्तर्गत 5,987 ग्राम पंचायतों को शामिल करते हुए कुल 32,000 कि.मी. मार्ग में ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु कार्य सम्पादन हेतु राज्य शासन द्वारा अनुमति प्रदान की गई है। (प्रपत्र संलग्न)

इसी तारतम्य में रायगढ़ जिला के धरमजयगढ़ वनमण्डल क्षेत्रांतर्गत धरमजयगढ़ एवं लैलूगा ब्लॉक के अधीनस्थ ग्राम पंचायतों को ब्लाक मुख्यालय से जोड़ने वाले मार्गों के मौजूदा राईट-ऑफ-वे के अन्तर्गत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु सम्बंधित ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है।

संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी
छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स)
रायपुर छत्तीसगढ़



छत्तीसगढ़ शासन
इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग

मंत्रालय

महानदी भवन, नया रायपुर (छ.ग.)

// आदेश //

नया रायपुर, दिनांक 25 जनवरी 2018

क्रमांक-4-4/2018/56/इ.सू.प्रौ. राज्य शासन एतद्वारा विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 4-54/2014/56/इ.सू.प्रौ. दिनांक 26/06/2015 में उल्लेखित प्रावधानों के अंतर्गत भारतनेट परियोजना अंतर्गत निम्नालिखित मार्ग के किनारों पर ऑप्टिकल फाइबर बिछाने के लिए राईट ऑफ वे की निःशुल्क अनुमति प्रदान करता है :-

जिला का नाम	जिलेवार प्रदत्त राईट ऑफ वे की अनुमति (कि.मी.)
बालोद	2239.042
बलौदाबाजार	1580.163
वस्तर	1297.571
वेमेतरा	1360.586
बीजापुर	582.665
बिलासपुर	1798.250
देतेवाड़ा	357.884
धमतरी	821.845
दुर्ग	427.459
गरियाबंद	1978.244
जाजगीर-चांथा	2089.163
जशपुर	570.788
कवीरधाम	1669.394
कावरेर	2014.129
कोण्डागांव	560.121
कोरवा	1016.073
कोरिया	2577.970
महासमुन्द	1395.313
मुंगेली	747.039
नारायणपुर	101.137
रायगढ़	2006.000
रायपुर	1340.250
राजनादिगांव	2331.905

जिला व/वा भाग	जिलेवार प्रदत्त राशि एजेंसी के अनुमति (कि.मी.)
मुक्तसरा	467.751
सुरजपुर	896.473
सरगुजा	968.482
कुल	33195.827

यह कार्य, विभाग की नोडल एजेंसी चिप्स द्वारा शासकीय मार्गों पर किया जा रहा है। अतः इस कार्य हेतु नोडल एजेंसी को बैंक गारंटी से मुक्त रखा जाता है, परन्तु ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का कार्य करने वाली एजेंसी को भुगतान करने के पूर्व गड़दों का भराव, सड़क या उनके किनारों की मरम्मत आदि करना होगा। चिप्स में एजेंसी द्वारा जमा बैंक गारंटी का विमुक्तिकरण, ऑप्टिकल फाइबर बिछाने के दौरान सड़क, उसके किनारों में दूट-फूट, और खोदे गये गड़दों का भराव संतोषप्रद रूप से करने के उपरान्त ही किया जाए।

चिप्स द्वारा पृथकतः सक्षम अधिकारी से राष्ट्रीय राजमार्ग, वन मार्ग एवं रेलवे ब्रासिंग के साईट ऑफ वे के लिये अनुमति प्राप्त की जाए।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(एलेक्सा पील-मनन)
संयुक्त सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग

1. मुख्य अधिकारी, समस्त, छत्तीसगढ़

2. मुख्य महानिरीक्षक, छत्तीसगढ़

3. प्रधान मुख्य दल सहायक, क्षेत्रीय/जन्यप्राणी, छत्तीसगढ़

4. जलकण्ठ, समस्त, छत्तीसगढ़

5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, धिया, रायपुर

6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, समस्त, छत्तीसगढ़

7. आयुक्त, नगर पालिका निगम, (समस्त), छत्तीसगढ़

8. जनसम्पर्क अधिकारी, समस्त, छत्तीसगढ़

9. मुख्य अभियंता राष्ट्रीय राजमार्ग, रायपुर, छत्तीसगढ़

10. मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग, समस्त, छत्तीसगढ़

11. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, (समस्त) बलौदाबाजार, बस्तर, देमंतरा, बीजापुर, बिलासपुर, दत्तवाड़ा, धमतरी, दुर्ग, गरियाबंद, जांजगीर-बापा, जरापुर, कवीरगाम, कांकेर, कोण्डागांव, कोरवा, कोरिया, महासमुन्द, मुंगेली, नारायणपुर, रायगढ़, रायपुर, राजनांदगांव, सुकमा, सूरजपुर, सरगुजा

12. मुख्य नगर पालिका अधिकारी/ मुख्य नगर पंचायत अधिकारी, समस्त बलौदाबाजार, बस्तर, देमंतरा, बीजापुर, बिलासपुर, दत्तवाड़ा, धमतरी, दुर्ग, गरियाबंद, जांजगीर-बापा, जरापुर, कवीरगाम, कांकेर, कोण्डागांव, कोरवा, कोरिया, महासमुन्द, मुंगेली, नारायणपुर, रायगढ़, रायपुर, राजनांदगांव, सुकमा, सूरजपुर, सरगुजा

13. निज सहायक, प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, इ.सू.प्री. गया जयपुर

- की ओर सूचनाएँ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

(रलेक्स पॉल मेनन)

सद्वृत्त सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

इलेक्ट्रानिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग

जिले की कुल वन भूमि (रकबा हे. में)

रायगढ़ जिले की कुल वन भूमि (रकबा हे. में) वन भूमि रकबा 244804 हे. है।


वनमण्डल अधिकारी,
धरमजयगढ़ वनमण्डल,
जिला - रायगढ़, (छत्तीसगढ़)

**व.स.अ.-1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों में
प्रभावित हुई वन भूमि रकबा हे. में**

व.स.अ.-1980 अंतर्गत जिले के धरमजयगढ़ वनमण्डल अन्तर्गत स्वीकृत 06 प्रकरणों में प्रभावित हुई वन भूमि रकबा **367.736** हे. है।


वनमण्डलाधिकारी,
धरमजयगढ़ वनमण्डल,
जिला -रायगढ़, (छत्तीसगढ़)

**व.स.अ.-1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों में
इसी श्रेणी की कुल प्रत्यावर्तन वन भुमि रकबा हे. में।**

व.स.अ.-1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों में इसी श्रेणी की कुल प्रत्यावर्तन वन भुमि
रकबा निरंक है।


वनमण्डलाधिकारी,
धरमजयगढ़ वनमण्डल,
जिला -रायगढ़, (छत्तीसगढ़)

प्रस्तावित क्षेत्र के 10 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान, वन्यप्राणी अभ्यारण या हाथी कारीडोर स्थित है अथवा प्रस्तावित है या अन्य ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह/मूर्ति न होने की जानकारी

(छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग का पत्र क्रमांक/एफ-5-20/2007/10-2 दिनांक 12.01.2010)

प्रस्तावित क्षेत्र के 10 कि.मी. की परिधि में गोमर्डा अभ्यारण स्थित है तथा अन्य ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह/मूर्ति स्थापित नहीं है।

संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी
छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स)
रायपुर छत्तीसगढ़

वनमण्डलाधिकारी,
धरमजयगढ़ वनमण्डल,
जिला -रायगढ़, (छत्तीसगढ़)



वन परिक्षेत्र अधिकारी
लैलूंगा

वन परिक्षेत्र अधिकारी
परिक्षेत्र बोरो

वन परिक्षेत्र अधिकारी
कापू(सा.)

वन परिक्षेत्र अधिकारी
धरमजयगढ़

वन परिक्षेत्राधिकारी
छाल परिक्षेत्र
वनमण्डल, धरमजयगढ़

उप वनमण्डलाधिकारी
लैलूंगा उपवनमण्डल

उपवन मण्डलाधिकारी
धरमजयगढ़, उपवन मण्डल

**वन अधिकार मान्यता पत्र वितरण की सूची एवं
कलेक्टर का अनापत्ति प्रमाण पत्र रायगढ़**

भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना "भारतनेट प्रोजेक्ट फेस - II" के अन्तर्गत संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स), रायपुर, छत्तीसगढ़ द्वारा रायगढ़ जिला के धरमजयगढ़ वनमण्डल क्षेत्रांतर्गत धरमजयगढ़ एवं लैलूगा ब्लॉक के अधीनस्थ ग्राम पंचायतों को ब्लाक मुख्यालय से जोड़ने वाले मार्गों के मौजूदा राईट-ऑफ-वे के अन्तर्गत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु वन अधिकार मान्यता पत्र वितरण की सूची एवं कलेक्टर महोदय, जिला रायगढ़ का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न है।


संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी
छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स)
रायपुर छत्तीसगढ़


वनमण्डलाधिकारी,
धरमजयगढ़ वनमण्डल,
जिला - रायगढ़, (छत्तीसगढ़)



FORM-1

(for linear project)

Government of Chhattisgarh
Office of the District Collector Raigarh

No

Date

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC (pt) dated 3rd August 2009 where in the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA' for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **17.329 Hact.** forest land proposed to be diverted in favour of **CEO, Chhattisgarh Infotech Promotion Society (CHIPS) Raipur, C.G** (Name of User Agency) for Laying Optical Fiber Cable for Bharat Net Project Phase-II (purpose for Diversion of forest land) in Dharamjaigarh Forest Division falls within Jurisdiction of Raigarh District i.e. Dharamjaigarh and Lailunga Block. It is further certified that:-

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **17.329** hectares of forest area, proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meeting of the Forest Rights Committee (s), Gram Sabha (s), Sub-Division Level Committee (s) and the District Level Committee are enclosed as annexure (Not Applicable)
- (b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram sabhas have given their consent to it; (Not Applicable)
- (c) The proposal does not involve recognised rights of primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities. As the Purpose of the use of the land in essence is not diverted but only for allowing Chhattisgarh Infotech Promotion Society (CHIPS) Raipur, C.g. for laying underground Optical Fiber Cable for Bharat Net Project Phase-II (A Part of Digital India).


 (Bhim Singh)
 District Collector
 Raigarh

राजस्व वन भूमि हेतु कलेक्टर का अनापत्ति प्रमाण पत्र

भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना "भारतनेट प्रोजेक्ट फेस -11" के अन्तर्गत संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स), रायपुर, छत्तीसगढ़ द्वारा रायगढ़ जिला के धरमजयगढ़ वनमण्डल क्षेत्रांतर्गत धरमजयगढ़ एवं लैलूगा ब्लॉक के अधीनस्थ ग्राम पंचायतों को ब्लॉक मुख्यालय से जोड़ने वाले मार्गों के मौजूदा राईट-ऑफ-वे के अन्तर्गत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछानेके लिए राजस्व वन भूमि के उपयोग हेतु कलेक्टर महोदय, जिला रायगढ़ का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न है।


संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी
छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स)
रायपुर छत्तीसगढ़


वनमण्डलाधिकारी,
धरमजयगढ़ वनमण्डल,
जिला -रायगढ़, (छत्तीसगढ़)





कार्यालय कलेक्टर भू-अभिलेख शाखा जिला-रायगढ़(छ.ग.)

क्रमांक/ 789 / स.अ.भू.अ. / 2020
प्रति,

रायगढ़ दिनांक 7 / 7 / 2020

✓ मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
छत्तीसगढ़ इंफोटेक प्रमोशन सोसायटी(CHIPS)
रायपुर (छ.ग.)

विषय:-

भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना भारतनेट प्रोजेक्ट (A Part of Digital India) के सफल क्रियान्वयन हेतु जिला क्षेत्र के धरमजयगढ़ वनमण्डल क्षेत्रांतर्गत लैलूंगा, एवं धरमजयगढ़ ब्लॉक के अंतर्गत शामिल ग्राम पंचायतों को ब्लॉक मुख्यालय से जोड़ने वाले मार्गों के मौजूदा राईट-ऑफ-वे में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत गैरवानिकी प्रयोजन हेतु भूमि व्यवर्तन बाबत प्रस्ताव तैयार किये जाने हेतु मार्ग में प्रभावित राजस्व वनभूमि 0.407 हे. का अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं वन भूमि रकबा 16.922 हे.कुल भूमि 17.329 हे. का FRA प्रतिवेदन मार्ग समानांतर प्रस्तावित आर्टिकल फाईबर केबल बिछाने हेतु CEO छत्तीसगढ़ इंफोटेक प्रमोशन सोसायटी (CHIPS) रायपुर के नाम से प्रदाय करने बाबत।

संदर्भ:-

प्राधिकृत अधिकारी टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड रायपुर के पत्र क्रमांक/भानेप्रो-II/वनभूमि/एफआरए-अनापत्ति/2019-20/33 रायपुर दिनांक 28.01.2020।

—00—

मुख्य कार्यपालन अधिकारी चिप्स स्टेट डाटा सेंटर भवन सिविल लाईन्स रायपुर (छ.ग.) द्वारा "भारत नेट प्रोजेक्ट" के तहत रायगढ़ जिला क्षेत्र के धरमजयगढ़ वनमण्डल क्षेत्रांतर्गत लैलूंगा, एवं धरमजयगढ़ ब्लॉक के अंतर्गत शामिल ग्राम पंचायतों के मार्ग समानांतर आर्टिकल फाईबर केबल बिछाने हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत गैरवानिकी प्रयोजन हेतु ग्रामवार राजस्व वनभूमि की भू-प्रत्यावर्तन करना उल्लेखित किया गया है।

राजस्व वन भूमि (छोटे/बड़े झाड़ के जंगल)

क्रमांक	तहसील	ग्राम का नाम	खसरा नं.	प्रभावित क्षेत्र का रकबा (हे.)	मद(छोटे/बड़े झाड़ के जंगल)	रिमार्क
1	धरमजयगढ़	आमगांव	152/1/ढ/1	0.021	बड़े झाड़ के जंगल	
2	धरमजयगढ़	बोरो	280/11	0.036	छोटे झाड़ के जंगल	
3	धरमजयगढ़	बोरो	272/1	0.002	छोटे झाड़ के जंगल	
4	धरमजयगढ़	बोरो	349/1/क/1	0.014	बड़े झाड़ के जंगल	
5	धरमजयगढ़	बोरो	46/1	0.002	छोटे झाड़ के जंगल	
6	धरमजयगढ़	बोरो	41/1क	0.005	छोटे झाड़ के जंगल	
7	धरमजयगढ़	बोरो	73/1	0.001	छोटे झाड़ के जंगल	
8	धरमजयगढ़	बोरो	75/1	0.006	छोटे झाड़ के जंगल	
9	धरमजयगढ़	जबगा	182/1क	0.006	बड़े झाड़ के जंगल	
10	धरमजयगढ़	जबगा	242/1	0.026	बड़े झाड़ के जंगल	
11	धरमजयगढ़	जमरगीड़ी	448/1	0.001	बड़े झाड़ के जंगल	
12	धरमजयगढ़	जोगड़ा	104/1	0.013	बड़े झाड़ के जंगल	
13	धरमजयगढ़	कूमा	66	0.002	बड़े झाड़ के जंगल	
14	धरमजयगढ़	कूमा	231	0.001	छोटे झाड़ के जंगल	
15	धरमजयगढ़	पखनाकोट	502/1	0.025	बड़े झाड़ के जंगल	
16	धरमजयगढ़	रीलो	110/1क/1	0.018	बड़े झाड़ के जंगल	
17	धरमजयगढ़	रीलो	295/1क	0.007	बड़े झाड़ के जंगल	

18	धरमजयगढ़	ससकोबा	502 / 18	0.009	बड़े झाड़ के जंगल
19	धरमजयगढ़	ससकोबा	382 / 1क	0.073	बड़े झाड़ के जंगल
20	धरमजयगढ़	ससकोबा	505 / 1क	0.004	बड़े झाड़ के जंगल
21	धरमजयगढ़	सिसरिंगा	944 / 1क	0.013	छोटे झाड़ के जंगल
22	धरमजयगढ़	सिसरिंगा	952 / 1	0.005	छोटे झाड़ के जंगल
23	धरमजयगढ़	सिसरिंगा	508 / 3	0.064	बड़े झाड़ के जंगल
24	धरमजयगढ़	सिवार	185 / 2	0.011	बड़े झाड़ के जंगल
25	लैलूंगा	गमेकेला	452 / 5	0.005	छोटे झाड़ के जंगल
26	लैलूंगा	करवारजोर	220	0.005	छोटे झाड़ के जंगल
27	लैलूंगा	करवारजोर	224	0.001	छोटे झाड़ के जंगल
28	लैलूंगा	पाकरगांव	31 / 14	0.004	बड़े झाड़ के जंगल
29	लैलूंगा	पाकरगांव	31 / 2	0.003	बड़े झाड़ के जंगल
30	लैलूंगा	सोनाजोरी	537 / 1	0.011	बड़े झाड़ के जंगल
31	लैलूंगा	सोनाजोरी	835 / 1	0.013	बड़े झाड़ के जंगल
योग			31	0.407	

चूंकि प्रस्तावित भूमि राजस्व अभिलेख में छोटे/बड़े झाड़ के जंगल मद में दर्ज है, जो राजस्व वनभूमि श्रेणी में है। जिस पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 प्रभावशील है। अतएव उक्त भूमि का गैरवानिकी प्रयोजन हेतु उपयोग किये जाने के संबंध में विधिवत वन विभाग से भूमि प्रत्यावर्तन की कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। यदि वन विभाग द्वारा उक्त भूमि के संबंध में नियमानुसार भू-प्रत्यावर्तन की कार्यवाही की जाती है तथा संदर्भित फर्म/संस्था द्वारा विषयांकित कार्य के संपादन में ग्रामों में स्थित धार्मिक या सामाजिक विन्यास को प्रभावित नहीं की जाती तो इस विभाग को किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है।

पृ. क्रमांक/ 789A / स.अ.भू.अ. / 2020
प्रतिलिपि:-

कलेक्टर
रायगढ़ (छ.ग.)
रायगढ़, दिनांक 7/7/2020

1. सचिव छ.ग. शासन सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन नवा रायपुर को सादर सूचनार्थ।
2. वन मंडलाधिकारी वन मंडल रायगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. प्राधिकृत अधिकारी टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड रायपुर को सूचनार्थ।

कलेक्टर
रायगढ़ (छ.ग.)

पंजीयन क्रमांक – पंजीयन शुल्क एवं प्रोसेसिंग शुल्क का विवरण

भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना "भारतनेट प्रोजेक्ट फेस -II" के अन्तर्गत संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स), रायपुर, छत्तीसगढ़ द्वारा रायगढ़ जिला के धरमजयगढ़ वनमण्डल क्षेत्रांतर्गत धरमजयगढ़ एवं लैलूगा ब्लॉक के अधीनस्थ ग्राम पंचायतों को ब्लॉक मुख्यालय से जोड़ने वाले मार्गों के मौजूदा राईट-ऑफ-वे के ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु अन्तर्गत प्रभावित कुल वनभूमि रकबा 17.329 हे. का वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत गैर वानिकी कार्य के लिए व्यपवर्तन प्रस्ताव का पंजीयन क्रमांक FP/CG/OFC/45138/2020 दिनांक 19.08.2020 रायगढ़ को आंबाटित किया गया है।

आवेदक से पंजीयन शुल्क रु. 6000.00 तथा प्रसंस्करण (प्रोसेसिंग) शुल्क रु. 18000.00 कुल राशि 24000.00 आइ0डी0बी0आइ0 बैंक के डिमांड ड्राफ्ट क्रमांक तथा दिनांक को वन मण्डलाधिकारी रायगढ़ के नाम प्रस्तुत किया गया है। जिसे जिला कोषालय में चालान नम्बर एवं दिनांक द्वारा वन मण्डलाधिकारी धरमजयगढ़ पी. डी. खाते में जमा कर दिया गया है।


वनमण्डलाधिकारी,
धरमजयगढ़ वनमण्डल,
जिला -रायगढ़, (छत्तीसगढ़)

राष्ट्रीय उद्यान/वन्यप्राणी अभ्यारण्य के अंदर से ओ.एफ.सी. गुजरने की स्थिति में प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) छत्तीसगढ़ की अनुशंसा

भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना "भारतनेट प्रोजेक्ट फेस -II" के अन्तर्गत संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स), रायपुर, छत्तीसगढ़ द्वारा रायगढ़ जिला के धरमजयगढ़ वनमण्डल क्षेत्रांतर्गत धरमजयगढ़ एवं लैलूगा ब्लॉक के अधीनस्थ ग्राम पंचायतों को ब्लाक मुख्यालय से जोड़ने वाले मार्गों के मौजूदा राईट-ऑफ-वे के अन्तर्गत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु प्रभावित 16.922 हे. वनभूमि एवं 0.407 हे. राजस्व वनभूमि, कुल वनभूमि रकबा 17.329 हे. वनभूमि प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित है जो कि किसी वन्य प्राणी परियोजना के अंतर्गत नहीं आ रहा है।

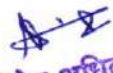
अतः इस प्रस्ताव हेतु वन्यप्राणी परियोजना पर प्रधान मुख्य वन संरक्षण (वन्यप्राणी) का अनुशंसा की आवश्यकता नहीं है।


वनमण्डलाधिकारी,
धरमजयगढ़ वनमण्डल,
जिला - रायगढ़, (छत्तीसगढ़)


वन परिक्षेत्र अधिकारी
लैलूगा


वन परिक्षेत्र अधिकारी
परिक्षेत्र बोरो


वन परिक्षेत्राधिकारी
छाल परिक्षेत्र
वनमण्डल, धरमजयगढ़


वन परिक्षेत्र अधिकारी
कापू(सा.)


वन परिक्षेत्राधिकारी
धरमजयगढ़




उपवन मण्डलाधिकारी
धरमजयगढ़, उपवन मण्डल


उप वनमण्डलाधिकारी
लैलूगा उपवनमण्डल